प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना
(पीएमएजीवाई)

केंद्र प्रायोजित योजना

दिशा-निर्देश

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
भारत सरकार
अक्तूबर, 2018

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम

विषय-वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पृष्ठभूमि	
2.	'आदर्श ग्राम' का विजन	
3.	योजना के उद्देश्य	
4.	निगरानी योग्य संकेतक	
5.	दृष्टिकोण और कार्यनीति	
6.	योजना के संघटक	
7.	ग्राम विकास योजना (वीडीपी) की तैयारी	
8.	राज्यों और गांवों का चयन	
9.	वित्त-पोषण	
10.	निधियों का प्रवाह	
11.	तकनीकी संसाधन सहायता	
12.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
13.	जागरुकता सृजन और प्रचार	
14.	केंद्रीय और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियां	
15.	केंद्रीय और राज्य स्तर पर छानबीन एवं निगरानी समितियां	
16.	राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर पीएमएजीवाई अभिसरण समितियां	
17.	विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम निदेशक	
18.	समय-सीमा	
19.	निगरानी तंत्र, प्रगति रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण, निगरानी, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), मूल्यांकन एवं सामाजिक लेखा-परीक्षा	
20.	सर्वोकृष्ट निष्पादनकारी गांव को राज्य और राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार	

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम

अनुबंधों की सूची

अनुबंध सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
I	अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान	
II	अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणार्थ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं की सूची	
III	विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लिए संगत अन्य मंत्रालयों के महत्वपूर्ण कार्यक्रम	
IV	समग्र जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों का विकास स्तर	
V	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का राज्य-वार भाग	
VI	50% से अधिक और 40% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों और ग्रामों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या	
VII	केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार समितियों की संरचना	
VIII	केन्द्रीय तथा राज्य संचालन-सह-मानीटरिंग समिति की संरचना	
IX	राज्य, जिला और ग्राम स्तरीय पीएमएजीवाई अभिसरण समितियों की संरचना	
X	ग्राम संबंधी आवश्यकताओं के मूल्यांकन, अवसंरचनात्मक, व्यक्तिगत तथा अन्य अंतरों की पहचान, ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार करने एवं निगरानी के लिए प्रपत्र (प्रपत्र । से VIII)	

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) संबंधी केंद्रीय प्रायोगिक स्कीम

दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या हमारी कुल जनसंख्या का 16.6% है, जो बहुत लंबे समय से सामाजिक एवं शैक्षिक निर्योग्यता का शिकार रही हैं जिसके कारण वे आर्थिक रूप से भी पिछड़ गई हैं। तद्नुसार, उनके हितों की रक्षा करने और उनका उत्थान करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में उनके सामाजिक उत्थान में आड़े आने वाली सभी कुरीतियों एवं बाधाओं को दूर करने के अनेक उपाय किए गए हैं ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके तथा उन्हें शेष जनसंख्या के समकक्ष लाया जा सके।

1.2 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सर्वप्रथम उद्देश्य, "सभी भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय" प्रदान करना है। संविधान के भाग IV ("राज्य के नीति निर्देशक तत्व") में राज्य को लोगों के कमजोर वर्गों, विशेषत: अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखते हुए उनका विकास करने का निर्देश दिया गया है। इसी भाग के अनुच्छेद 38(2) में लोगों की आय में असमानताओं को न्यूनतम करने और उनकी हैसियत में असमानताओं समाप्त करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है और यह असमानता न केवल व्यक्तियों के बीच कम करनी है या समाप्त करनी है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों के समूहों या विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों के बीच भी करनी है। अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में उल्लिखित विशेष सुरक्षोपायों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

1.3 अत: सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कई पहल कार्य किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम मिले हैं और अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या के बीच का अंतर भी कम हुआ है। इन पहल कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि क्रमश: अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आबंटन (एडब्ल्यूएससी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के रूप में केंद्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आशयित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनकी सूची **अनुबंध-II** में दी गई है। सरकार के अन्य कई कार्यक्रम हैं जो अनुसूचित जातियों के लिए विशेष तौर पर प्रासंगिक हैं, हालांकि उन योजनाओं में सभी समूह कवर होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से भिन्न केंद्र सरकार के ऐसे कुछेक कार्यक्रमों को संक्षेप में **अनुबंध-III** में दिया गया है जो अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

1.4 तथापि, अनुसूचित जातियों को सामान्य जनता के बराबर लाने का उद्देश्य अभी बहुत दूर है और उसे प्राप्त किया जाना है, क्योंकि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अभिसरण की कमी है। अनुसूचित

जातियों और कुल जनसंख्या के बीच अंतर को सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास संबंधी संकेतकों और बुनियादी सुविधाओं से मापा जाता है, जिनका उल्लेख **अनुबंध-IV** में किया गया है।

1.5 इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों की अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं मुख्यत: अनुसूचित जाति बहुल स्थानों के एकीकृत विकास की बजाए व्यैक्तिक लाभार्थियों पर केंद्रित रही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20.14 करोड़ है, जोकि कुल जनसंख्या का 16.6% बनता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात पंजाब में है। **अनुबंध-V** में अनुसूचित जाति जनसंख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार प्रतिशत घटते क्रम में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 46,844 गांवों में 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है। ऐसे अनुसूचित जाति बहुल गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुबंध-VI** में दी गई है।

1.6 क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए, 6.7.2009 को वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उनके भाषण में घोषित प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) नामक एक नई योजना 2009-10 के दौरान एक प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन गांवों का एकीकृत विकास करना है जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50% से अधिक है। इस प्रायोगिक चरण के लिए तमिलनाडु (225), राजस्थान (225), बिहार (225), हिमाचल प्रदेश (225) और असम (100) के कुल 1000 गांवों को चुना गया था।

1.7 2014-15 के दौरान, पीएमएजीवाई योजना को 11 राज्यों के अन्य 1500 गांवों तक विस्तारित किया गया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश (7), असम (75), छत्तीसगढ़ (175), झारखंड (100), हरियाणा (12), कर्नाटक (201), मध्य प्रदेश (327), ओडिशा (175), पंजाब (162), तेलंगाना (6) और उत्तर प्रदेश (260)।

2. 'आदर्श ग्राम' का विजन

'आदर्श ग्राम' एक ऐसी संकल्पना है जिसमें लोगों को विभिन्न बुनियादी सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और असमानताएं कम से कम रहें। इन गांवों में वह सब ऐसी अवसंरचना होगी और इसके निवासियों को ऐसी सभी बुनियादी सेवाओं की सुविधा मिलेगी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिल सके ताकि वह अपनी संभाव्यताओं का पूरा उपयोग कर सके।

3. योजना के उद्देश्य

3.1 इस योजना का उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चुनिंदा गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सके :

(क) <u>पर्याप्त अवसंरचना</u>:

इस योजना के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित अवसंरचना की व्यवस्था करने की जरूरत है।

(ख) <u>सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार</u>

निगरानी योग्य संकेतकों के रूप में ज्ञात पहचानशुदा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार किया जाना है, ताकि अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति जनसंख्या में असमानता समाप्त की जा सके और संकेतकों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जाए। विशेष तौर पर, गरीबी रेखा से नीचे के सभी अनुसूचित जाति के परिवारों को भोजन एवं जीवन यापन की सुरक्षा मिलनी चाहिए, अनुसूचित जाति के सभी बच्चे माध्यमिक स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करें, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर के सभी कारणों का समाधान किया जाना चाहिए और कुपोषण, विशेषत: बच्चों एवं महिलाओं के संदर्भ में, की घटनाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।

3.2 **विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए 50 निगरानी योग्य संकेतकों के विवरणों की सूची आगामी पैरे में सूचीबद्ध हैं। इस प्रकार, निगरानी योग्य संकेतक निम्नलिखित 10 कार्यक्षेत्रों से संबंधित हैं** :

- **i) पेयजल और स्वच्छता**
- **ii) शिक्षा**
- **iii) स्वास्थ्य और पोषण**
- **iv) समाज सुरक्षा**
- **v) ग्रामीण सड़कें और आवास**
- **vi) विद्युत और स्वच्छ इंधन**
- **vii) कृषि पद्धतियां आदि**
- **viii) वित्तीय समावेशन**
- **ix) डिजीटलीकरण**
- **x) जीवन-यापन और कौशल विकास**

4. निगरानी योग्य संकेतक

4.1 **इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य, 10 विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित 50 निगरानी योग्य संकेतकों में सुधार करना है :**

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र/निगरानी योग्य संकेतकों के ब्यौरे	बेंचमार्क	अंक प्रणाली
1.	**पेयजल और स्वच्छता**		
1.1	क्या गांवों को कवर करने के लिए पर्याप्त पेयजल संसाधन उपलब्ध हैं? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0
1.2	स्वच्छ पेयजल प्रदत्त परिवारों का %	>75%	2

		50-75% <50%	1 0
1.3	अलग-अलग परिवार शौचालय (आईएचएचएल) वाले परिवारों का %	100% <100%	2 0
1.4	क्या गांवों में सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालय हैं? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0
1.5	क्या गांवों में लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं? (हां/नहीं)	हां=0% नहीं=100%	0 2
1.6	सभी आंतरिक सड़कों के साथ जुड़ी नालियों का %	>75% 50-75% <50%	2 1 0
1.7	मौजूदा कार्यरत नालियों का %	>75% 50-75% <50%	2 1 0
1.8	ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावशाली ढंग से निपटान करने का %	>75% 50-75% <50%	2 1 0
2.	**शिक्षा**		
2.1	प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों का %	100% <100%	2 0
2.2	मिडिल स्कूलों में जाने वाले बालक और बालिकाओं (11-13 वर्ष) दोनों का %	100% <100%	2 0
2.3	माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले दोनों बालक और बालिकाओं (14-15 वर्ष) दोनों का %	100% <100%	2 0
2.4	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले बालक और बालिकाओं (16-17 वर्ष) दोनों का %	100% <100%	2 0
2.5	उच्चतर माध्यमिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक और बालिकाओं (18-23 वर्ष) दोनों का %	100% <100%	2 0
2.6	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत (स्कूल जाने वाले तथा पात्र छात्रों में से)	100% <100%	2 0
2.7	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत (मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे और पात्र छात्रों में से)	100% <100%	2 0
3.	**स्वास्थ्य और पोषण**		
3.1	किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
3.2	क्या कॉल करने पर आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0

3.3	गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जो गंभीर रूप से अरक्त है	0% >0%	2 0
3.4	पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में संस्थागत प्रसूतियों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
3.5	पिछले एक वर्ष के दौरान जन्मे कम वजन के नवजात बच्चों का प्रतिशत	0% >0%	2 0
3.6	बच्चों (< 1 वर्ष) के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत	100% <100%	2 0
3.7	गांवों में कम वजन वाले बच्चों (0-5 वर्ष) का प्रतिशत	0% >0%	2 0
3.8	पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई?	शून्य	2
3.9	पिछले एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों (< 1 वर्ष) की मृत्यु हुई?	शून्य	2
3.10	प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार प्राप्त कर रहे संक्रामक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
3.11	क्या सभी आंगनवाड़ियों का निर्माण कर लिया गया है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0
4.	**समाज सुरक्षा**		
4.1	विधवा पेंशन प्राप्त पात्र महिलाओं का प्रतिशत	हां=100% नहीं=0%	2 0
4.2	वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	हां=100% नहीं=0%	2 0
4.3	दिव्यांग पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	हां=100% नहीं=0%	2 0
5.	**ग्रामीण सड़कें और आवास**		
5.1	क्या गांव को पक्की सड़कों के साथ जोड़ा गया है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0
5.2	आंतरिक सड़कों का प्रतिशत जिन पर सीसी/ब्रिक टॉप/पक्की/टाइलें लगाई गई हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
5.3	कच्चे/असुरक्षित घरों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत	हां=100% नहीं=0%	
6.	**बिजली और स्वच्छ ईंधन**		
6.1	क्या गांव में बिजली मौजूद है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0
6.2	परिवारों का प्रतिशत जिन्हें बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।	>75%	2

		50-75% <50%	1 0
6.3	परिवारों का प्रतिशत जो कम से कम एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
6.4	परिवारों का प्रतिशत जिन्हें गैस कनेक्शन दिए गए हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
6.5	आंतरिक सड़कों का प्रतिशत जिन पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध है	>75% 50-75% <50%	2 1 0
7.	**कृषि संबंधी पद्धतियां आदि**		
7.1	पात्र किसानों का प्रतिशत जिन्हें सॉयल हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
7.2	अपनाई गई जैविक खेती पद्धति की सीमा (प्रतिशत में)	>75% 50-75% <50%	2 1 0
7.3	जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन पद्धति अपनाए जाने की सीमा	>75% 50-75% <50%	2 1 0
8.	**वित्तीय अंतर्वेशन**		
8.1	गांवों में रहने वाले लोगों (>5 वर्ष) का प्रतिशत जिनके पास आधार पहचान पत्र हैं	100% <100%	2 0
8.2	बैंकों/डाकघरों में खाते रखने वाले परिवारों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
8.3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
8.4	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
9.	**डिजिटलीकरण**		
9.1	क्या गांव को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0

9.2	क्या गांव में कॉमन सर्विस सेंटर या साइबर कैफे की सुविधा उपलब्ध है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0
9.3	पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत जो डिजटली शिक्षित हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
10.	**आजीविका और कौशल विकास**		
10.1	कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवकों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
10.2	पात्र युवकों का प्रतिशत जो बैंक से ऋण प्राप्त कर सके हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
10.3	उन परिवारों का प्रतिशत जिनसे कम से कम एक सदस्य किसी स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य है	>75% 50-75% <50%	2 1 0
अधिकतम अंक			**100**

4.2 इन निगरानी योग्य संकेतकों को बेस लाइन आंकड़े एकत्र करते समय, की गई प्रगति पर निगरानी रखते समय और चयनित गांवों को "आदर्श ग्राम" के रूप में घोषित करते समय ध्यान में रखा जाएगा। 2 अंक प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्येक निगरानी योग्य संकेतक के बेंचमार्क से ऊपर होने की आशा की जाती है। अतः कोई भी गांव अधिकतम 100 अंक प्राप्त कर सकता है।

5. दृष्टिकोण और कार्यनीति

5.1 चयनित गांव का समेकित विकास केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं को अभिसरण ढंग से करते हुए कार्यान्वित करके हासिल किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता वाली सेवाएं तथा अवसंरचनात्मक विकास मुहैया कराया जाएगा। गांव की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं या राज्य सरकारों से बराबर अनुदान प्राप्त करके कम से कम तीन से चार गुना "अंतर-पाटन" निधि का अभिसरण करके अंतर-पाटन वित्त पोषण किया जाएगा।

5.2 सामान्य तौर पर कार्यक्रम के एक चरण के दौरान कुछेक एससी बहुसंख्यक गांवों को समेकित विकास हेतु लिया जाएगा अर्थात प्रायोगिक चरण में 1000 गांवों को वित्त पोषण के लिए और पहले चरण में 1500 गांवों को पीएमएजीवाई के अंतर्गत चुना गया था। प्रत्येक चरण की अवधि दो वर्ष होगी, लेकिन किसी गांव का एक बार चयन करने के बाद उसमें सामाजिक - आर्थिक संकेतकों में सुधार लाने के लिए अगले तीन वर्षों तक किए जाने वाले सतत प्रयासों पर निगरानी रखी जाएगी। अतः पीएमएजीवाई के अंतर्गत निधियां जारी करते समय उन्हें पहले चरण की दो वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग में लाया जाएगा, निगरानी योग्य संकेतकों की कुल पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनरीक्षा की जाएगी।

5.3 हालांकि किसी विशेष चरण के अंतर्गत चुना गया कोई गांव यदि विकास के एक स्तर को प्राप्त कर लेता है, तब भी उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि उसमें और अधिक सुधार हो और उन गांवों को एक से अधिक बार वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए योजना के अनुवर्ती चरणों में पुनः शामिल किया जा सकता है।

5.4 चूंकि समेकित विकास के लिए अभिसरण अनिवार्य है, अतः पीएमएजीवाई को कार्यान्वित करने के लिए गांव, जिला और राज्य स्तर पर अभिसरण समितियां गठित की जाएंगी।

6. योजना के संघटकः अतः इस योजना के निम्नलिखित दो घटक होंगेः-

6.1 योजनाओं का अभिसरणः योजनाओं का अभिसरण करके पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करने और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार लाने के दोहरे उद्देश्यों को हासिल किया जा सकेगा। बेसलाइन डाटा की तुलना में निगरानी योग्य संकेतकों से उत्पन्न चयनित गांवों का विकास संबंधी घाटा, केंद्र तथा राज्य सरकारों की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण का एक आधार बनेगा। योजनाओं की एक संकेतक सूची जिसकी अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के विकास के लिए अभिसरण किए जाने की आवश्यकता है, **अनुबंध-II एवं अनुबंध-III** में दी गई है।

6.2 "अंतर-पाटन": चयनित गांव की विशेष रूप से अभिज्ञात विकास संबंधी आवश्यकताएं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा किसी भी योजना के अंतर्गत पूरा नहीं किया जा सका है, को इस योजना के अंतर्गत "अंतर-पाटन" निधि से पूरा किया जाएगा। केवल अनावर्ती स्वरूप के कार्यकलापों को अंतर-पाटन घटक के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। निम्न प्रयोजनों के लिए एक संकेतक सूची जिसके लिए "अंतर-पाटन" घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है, नीचे दी गई हैः-

1. पेयजल तथा स्वच्छता अवसंरचनात्मक विकास
2. ठोस तथा द्रव्य अवशिष्ट पदार्थ निपटान सुविधाओं की स्थापना
3. स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालयों का निर्माण और बड़ा मरम्मत कार्य
4. आंगनवाड़ियों का निर्माण
5. हर किस्म के मौसम के अनुकूल सड़कों का निर्माण
6. सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट लगाना

7. गांव विकास योजना (वीडीपी) की तैयारी:

7.1 वीडीपी का उद्देश्य चुने हुए गांव का आदर्श ग्राम के रूप में लगभग पांच वर्ष की समय-सीमा में विकास करने के लिए एक व्यापक, वास्तविक और व्यावहारिक रूप-रेखा तैयार करना है। वीडीपी को तैयार करने के लिए शुरुआती बिंदु किसी पूरे गांव के लिए और सभी परिवारों और व्यक्तियों के लिए तथा उन परिवारों के लिए जिनका सर्वेक्षण किया जाना है, की महत्वपूर्ण विकास संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना है।

7.2 आवश्यकता आधारित आकलन प्रपत्र I, II, III-क और III-ख में दर्शाया जाएगा। जबकि प्रपत्र I में गांव से संबंधित आंकड़े दर्शाए जाएंगे और प्रपत्र II में गांव स्तरीय अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को दर्शाया जाएगा, प्रपत्र III-क में परिवार/व्यक्तियों से संबंधित आवश्यकताओं को दर्शाया जाएगा। प्रपत्र III-ख, प्रपत्र III-क का समेकित रूप होगा। अतः इसमें गांव के स्तर पर परिवार/व्यक्तियों की आवश्यकताओं को दर्शाया जाएगा। इस प्रकार प्रपत्र II और प्रपत्र III में कुल-मिलाकर पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रत्येक निगरानी योग्य संकेतक के बारे में सूचना दी जाएगी। प्रपत्र II और प्रपत्र III-ख में भी कुल-मिलाकर प्रत्येक निगरानी योग्य संकेतक के लिए अवसंरचनात्मक और परिवार/व्यक्तियों की आवश्यकताओं (अंतर) को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना को दर्शाया जाएगा।

7.3 गांव विकास योजना (वीडीपी) को प्रपत्र IV, V और VI के अनुसार तैयार किया जाएगा। प्रपत्र IV और V में प्रपत्र II और प्रपत्र III-ख में पहले से शामिल की गई कार्य योजनाओं के बारे में समेकित सूचना होगी और इस प्रकार वीडीपी में क्रमशः अवसंरचनात्मक और परिवार/व्यक्तियों की आवश्यकताओं से संबंधित सूचना को दर्शाया जाएगा। प्रापत्र IV और V आवश्यकताएं पूरी करने के लिए माह में की जा रही प्रगति पर निगरानी भी रखेंगे।

7.4 अवसरंचना के संबंध में यह ध्यान में रखा जाएगा कि निधियां केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं, पीएमएजीवाई तथा एससीएसपी योजना के लिए एससीए से ली जा सकती हैं और उन्हें प्रपत्र IV में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। पैरा 4.1 के अंतर्गत 3.4, 3.5, 3.8 और 3.9 में सूचीबद्ध 4 निगरानी योग्य संकेतकों के मामले में भी, प्रपत्र III-क, III-ख और V में ऐसे अंतर के कारण बताए जाएंगे।

7.5 प्रपत्र VI में निगरानी योग्य संकेतकों की स्थिति दर्शायी जाएगी। यदि, यह प्रारंभिक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित होगा, तो प्रपत्र VI निगरानी योग्य संकेतकों की बेसलाइन स्थिति को दर्शाएगा। जब-कभी भी आवश्यक होगा, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार लाया जाएगा और तद्नुसार प्रपत्र VI को अद्यतन किया जा सकेगा। यदि आवश्यकता पर आधारित आकलन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, तो प्रपत्र VI को व्यापक रूप से अद्यतन किया जाएगा लेकिन इस दौरान प्रपत्र IV और प्रपत्र V में दर्शायी मासिक प्रगति के आधार पर इसे प्रत्येक माह अद्यतन किया जा सकेगा।

7.6 आवश्यकता पर आधारित आकलन, आंकड़ों को एकत्र करने, अंतर का विश्लेषण करने और वीडीपी तैयार करने की संपूर्ण कार्रवाई ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति द्वारा की जाएगी। गांव की ग्राम सभा द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित वीडीपी जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी। अनुमोदन देते समय जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि वीडीपी एक सुदृढ़ योजना हो जिसमें गांव की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ मिलकर पर्याप्त और उपयुक्त अभिसरण क्षमता हो और इसके परिणामस्वरूप निगरानी योग्य संकेतकों में बेहतर सुधार होगा। तत्पश्चात, इसे ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का एक भाग बनाया जाएगा।

8. राज्यों और गांवों का चयनः

जनगणना, 2011 के अनुसार 46844 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या है। ये गांव 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 570 जिलों में अवस्थित हैं। 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में से केवल उन्हीं गांवों को जिनकी आबादी 500 तक होगी उन्हें इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम अनुसूचित जाति की आबादी के घटते क्रम में चयन के लिए पात्र समझा जाएगा।

9. वित्त पोषण

9.1 केंद्र सरकार नए गांवों के लिए 21.00 लाख रुपए प्रति गांव की दर से धनराशि प्रदान करेगी, जिसमें से 20.00 लाख रुपए की राशि चयनित गांवों में "अंतर-पाटन" घटक के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए निर्धारित की जाएगी, शेष 1.00 लाख रुपए प्रति गांव की राशि प्रशासनिक और अन्य खर्चों अर्थात तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरुकता सृजन, प्रचार आदि के लिए केंद्र, राज्य, जिला और गांव स्तर पर खर्च की जाएगी और केंद्रीय स्तर पर एमआईएस का विकास और रख-रखाव करने के लिए खर्च की जाने वाली राशि केंद्र, राज्य, जिला और गांव के स्तर पर 1:1:1:2 के अनुपात में वितरित की जाएगी। निधियों का वित्त पोषण पीएमएजीवाई के बजट से अथवा एससीएसपी के लिए एससीए योजना के अवसंरचनात्मक शीर्ष से अभिसरण मोड के माध्यम से किया जाएगा।

9.2 राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं या राज्य के अंश में से अंतर-पाटन निधि की कम से कम तीन से चार गुना राशि का अभिसरण करे ताकि गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

9.3 इसके अतिरिक्त, पूर्व चरणों में पहले से शामिल किए गए गांवों के निरंतर विकास के लिए, एससीएसपी के लिए एससीए योजना के अवसंरचनात्मक शीर्ष से प्रत्येक गांव के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि अभिसरण मोड में उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें से प्रत्येक गांव के लिए 9.50 लाख रुपए की राशि "अंतर-पाटन" घटक के रूप में उपयोग में लाई जाएगी और प्रत्येक गांव के लिए 0.50 लाख रुपए की राशि प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए 1:1:1:2 के अनुपात में केंद्र, राज्य, जिला और गांव के बीच वितरित की जाएगी।

10. निधियों का प्रवाह

10.1 केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत दो किस्तों में वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। पहली किस्त जो अनुमत्य अनुदान का 50 प्रतिशत तक होगी, उसे "अंतर-पाटन" निधि से क्षमता निर्माण, जागरुकता सृजन, आवश्यकता का आकलन करने, ग्राम विकास योजनाएं तैयार करने और अभिज्ञात आधारभूत कार्यों को शुरू करने के लिए चुने गए गांव के लिए तत्काल जारी किया जाएगा। प्रारंभ में राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क्षमता निर्माण, प्रशासनिक खर्चों, जागरुकता सृजन और गैर-लागत आधारित कार्यकलापों को शुरू करने के लिए जिला प्रशासनों को निधियां जारी करेंगे।

10.2 "अंतर-पाटन" घटक के अंतर्गत निधियां राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन को जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति द्वारा चयनित गांवों की वीडीपी का अनुमोदन करने के बाद जारी की जाएंगी। तत्पश्चात,

जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों और संबंधित विभागों को वीडीपी के अंतर्गत अभिज्ञात आधारभूत कार्यों को निष्पादित करने के लिए जारी करेंगे।

10.3 योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त जारी करने से पूर्व केंद्रीय स्तरीय छानबीन-एवं-निगरानी समिति द्वारा राज्य में इसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा। योजना में की गई उपयुक्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति की उपलब्धि के बाद ही राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाएंगी।

11. तकनीकी संसाधन सहायता

11.1 राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) हैदराबाद इस योजना के लिए तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करेगा।

11.2 इसी प्रकार, राज्य और जिला स्तरों पर, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी)/ एनआईआरडी एंड पीआर के विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी) या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पता लगाए गए और चुने गए अन्य कोई प्रतिष्ठित संस्थान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करेंगे।

11.3 ये संस्थान, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्य करेंगेः

1. राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला स्तर के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. विभिन्न स्तरों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
3. सभी स्तरों पर योजना की प्लानिंग, कार्यान्वयन और निगरानी से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

12. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

पीएमएजीवाई के अंतर्गत चालू केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन का अभिसरण करने के लिए गांवों की आवश्यकताओं की पहचान करना, पीएमएजीवाई गांवों के विकास के लिए सभी संगत केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं की नियमित रूप से सूची तैयार करना और तद्नुसार वीडीपी तैयार करना आवश्यक होगा। अतः पीएमएजीवाई की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों और निकायों द्वारा उपर्युक्त प्रत्येक योजना की बुनियादी विशिष्टताओं के बारे में स्पष्टता लाना आवश्यक है। राज्य सरकारें तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने वाले संस्थानों की मदद से सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित कार्य करेंगी।

13. जागरुकता सृजन और प्रचार

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए चयनित गांवों और संबंधित ब्लॉकों और जिलों में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के माध्यम से जागरुकता का

सृजन करेंगी। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण आदि के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से संबंधित पहलुओं पर समाज में संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं।

14. केंद्रीय और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियां

14.1 योजना के बारे में पूर्ण मार्गदर्शन देने और निगरानी करने के लिए, केंद्रीय और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी। केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (एसजेएंडई) होंगे। राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष राज्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होंगे। इन समितियों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों और निकायों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त उपयुक्त संख्या में जन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। केंद्रीय और राज्य सलाहकार समितियों की संरचना **अनुबंध VII** में दी गई है।

14.2 सलाहकार समितियों की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार परंतु वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी और ये निम्नलिखित कार्य करेंगीः-

1. मुख्य नीतिगत मुद्दों को हल करना और योजना के कार्यान्वयन में अभिसरण सुनिश्चित करना।
2. योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना, और
3. समय समय पर कार्यान्वयन संबंधी अनुपूरक दिशा-निर्देश जारी करना।

15. केंद्रीय और राज्य स्तर पर संचालन सह मॉनीटरिंग समितियां

15.1 केंद्रीय और राज्य सरकारों के स्तर पर संचालन सह मॉनीटरिंग समितियां गठित की जाएंगी जो निम्नलिखित कार्य करेंगीः-

1. मुख्य नीतिगत मुद्दों को हल करना और योजना के कार्यान्वयन में अभिसरण सुनिश्चित करना।
2. योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना, और
3. समय समय पर कार्यान्वयन संबंधी अनुपूरक दिशा-निर्देश जारी करना।

15.2 केंद्रीय और राज्य संचालन सह मॉनीटरिंग समितियों की संरचना **अनुबंध VIII** में दी गई है। इनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार परंतु वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी।

16. राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर पीएमएजीवाई अभिसरण समितियां

16.1 पीएमएजीवाई अभिसरण समितियां इस योजना के सफल कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। यह समितियां ये सुनिश्चित करेंगी कि पीएमएजीवाई धनराशियों से अंतर पाटने का प्रयोजन सिद्ध किया जाए जबकि अवसंरचना की परिपूर्णता और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण करके किया जाता है।

16.2 अभिसरण समितियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन प्रपत्र-I, II, III-क और III-ख के अनुसार किया जाए और यह कि कार्य योजना एवं प्रगति रिपोर्टों की निगरानी प्रपत्र IV, V

और VI तथा प्रपत्र VII और VIII के अनुसार की जाए। संक्षेप में, अभिसरण समितियां योजनाओं के कार्यान्वयन एवं उनकी निगरानी दोनों के लिए उत्तरदायी होंगी।

16.3 राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति के अध्यक्ष सामाजिक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव होंगे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होंगे, जिनके साथ इस योजना के अंतर्गत अभिसरण की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार, जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

16.4 ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समितियों के अध्यक्ष, ग्राम सरपंच होंगे और पंचायत के सभी अनुसूचित जाति के सदस्य एवं संबंधित संस्थाओं के अधिकारीगण, यथा एडब्ल्यूडब्ल्यू, आशा वर्कर्स आदि इसके सदस्य होंगे। यह समिति आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन करने, बेसलाइन आंकड़े एकत्र करने, वीडीपी तैयार करने तथा गांव में योजना का कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगी। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति का एक सदस्य इस समिति की सहायता करेगा और वह इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

16.5 तीन अभिसरण समितियों का गठन अनुबंध-IX के अनुसार किया जाएगा। राज्य स्तरीय अभिसरण समिति एक तिमाही में एक बार बैठक करेगी, किन्तु जिला एवं ग्राम स्तरीय अभिसरण समितियां महीने में एक बार बैठक करेंगी ताकि योजना का सुगम निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

17. विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम निदेशक

17.1 केन्द्रीय और राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समितियों के सदस्य सचिव क्रमश: राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर कार्यक्रम निदेशक पीएमएजीवाई, के रूप में कार्य करेंगी। इसी प्रकार, जिला कलेक्टर, जिला स्तर पर कार्यक्रम निदेशक होंगे और एडीएम स्तर का एक अधिकारी अथवा जिला पंचायत/जिला परिषद का सीईओ उनकी सहायता करेगा। ग्राम स्तर पर, सरपंच कार्यक्रम निदेशक होगा। कार्यक्रम निदेशक, योजना का सफल कार्यान्वयन करने और अगले पैरा 18 में निर्धारित समय सीमा के अनुसार इसका कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

18. समय-सीमा

18.1 पीएमएजीवाई निधियों का उपयोग करने की समय सीमा, नए गांव के लिए धनराशियां जारी करने की तारीख से **दो** वर्ष होगी और वित्तपोषण के अतिरिक्त चक्र के अंतर्गत गांवों के लिए **एक** वर्ष होगी। तथापि, अभिसरण संबंधी कार्यान्वयन सभी चुनिंदा गांव में कम से कम और तीन वर्षों तक जारी रहेगा ताकि बुनियादी 'आदर्श ग्राम' संबंधी उद्देश्य प्राप्त किया जा सके और निगरानी योग्य संकेतकों में स्थायित्व एवं सुधार लाए जा सके।

19. निगरानी तंत्र : प्रगति रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण, निगरानी, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), मूल्यांकन एवं सामाजिक लेखा-परीक्षा।

19.1 जिला स्तर पर कार्यक्रम निदेशक प्रपत्र IV, V और VI के अनुसार प्रत्येक चुने हुए गांव में मासिक प्रगति रिपोर्टें (एमपीआर) प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, जिला पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक प्रपत्र VII के अनुसार एमपीआर प्रस्तुत करेगा जबकि राज्य पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक प्रपत्र VIII के अनुसार एमपीआर प्रस्तुत करेगा। I से VIII तक, सभी प्रपत्र अनुबंध-X में दिए गए हैं।

19.2 इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर कार्य निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर विभिन्न समितियों द्वारा की जाएगी।

19.3 एक कारगर और केन्द्रीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित की जाएगी, जो निगरानी योग्य संकेतकों के बेसलाइन मूल्यों सहित चुने हुए गांव के कंप्यूटरीकृत आंकड़े एकत्र करेगी। पीएमएजीवाई हस्तक्षेप शुरू होने के पश्चात् इन संकेतकों में सुधार की निगरानी आवधिक रूप से की जाएगी। यह एमआईएस विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजनाबद्ध कार्रवाई के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए भी प्रयोग में लाई जाएगी जिसका अभिसरण संबंधी कार्यान्वयन गांव में किया जाना है और साथ ही 'अंतराल पाटने' संबंधी संघटक के अंतर्गत गतिविधियों को हाथ में लिया जाएगा।

19.4 एमआईएस के विकास और कार्यान्वयन पर व्यय इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त "प्रशासनिक व्यय" से निम्नलिखित मदों पर किया जाएगा :-

1. योजना के लिए उचित एमआईएस का विकास।
2. समुचित कौशल वाली जनशक्ति को अल्पावधि संविदा पर नियुक्त करना ताकि एमआईएस का परिचालन किया जा सके।
3. नितांत आवश्यक होने पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित कंप्यूटर सुविधाओं की व्यवस्था।

19.5 इस योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन, ग्रामीण विकास अथवा समाज विज्ञान अथवा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा।

19.6 ग्राम सभा उसी तरह से पीएमएजीवाई की सामाजिक लेखा-परीक्षा करेगी जिस तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अंतर्गत लेखा-परीक्षा अपेक्षित होती है।

20. सर्वोकृष्ट निष्पादनकारी गांव को राज्य और राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार

राज्यों को अपने-अपने राज्य में समग्र रूप से योजना का कार्यान्वयन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से (प्रत्येक 50 चुने गए गांवों के लिए एक गांव) सर्वोकृष्ट निष्पादनकारी तीन गांवों को मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली नामित चयन समिति द्वारा परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर चुना जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, चुने गए गांवों को प्रत्येक को पांच-पांच लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इसके अलावा, इन गांवों में से 03 गांवों को दस-दस लाख रुपए के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

******

<u>अनुबंध-I</u>

(पैरा 1.2 का संदर्भ लें)

अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

संविधान का भाग	क्रम सं.	अनुच्छेद	अनुच्छेद का संक्षिप्त प्रावधान
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
III.मूल अधिकार	**सामाजिक सुरक्षोपाय**		
	1	17	अस्पृश्यता का अंत
	2	25(2)(ख)	सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना ।
	शैक्षिक, आर्थिक और नियोजन से संबंधित सुरक्षोपाय		
	3	15(4) और (5)	सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश सहित विशेष उपबंध ।
	4(i)	16(4)	अनुसूचित जातियों सहित पिछड़े वर्गों के पक्ष में सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तयों एवं पदों का आरक्षण ।
	(ii)	16(4क)	सार्वजनिक सेवाओं में प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण ।
	(iii)	16(4ख)	बैकलॉग रिक्तियों को अलग वर्ग की रिक्तियों के रूप में माना जाएगा और इन्हें 16(4) और 16(4क) के उद्देश्यों के लिए 50% की सीमा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा ।
IV. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व	5	46	**"अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि - राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।**
	राजनैतिक सुरक्षोपाय		
XVI. कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	6	330	लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ।
	7	332	राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ।
IX. पंचायतें	8	243घ	पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ।

IXक. नगर पालिकाएं	9	243न	नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ।
	सुरक्षोपायों के मॉनीटरिंग हेतु एजेंसी		
XVI. कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	10	338	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>अनुबंध-II</u>
(पैरा 1.3 का संदर्भ लें)

अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणार्थ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं की सूची

✓ **<u>शैक्षिक विकास संबंधी योजनाएं</u>**

- सफाई और स्वास्थ्य के लिए घातक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति के छात्रों (पीएमएस-एससी) के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए "उच्च श्रेणी शिक्षा" हेतु छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
- एससी और ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)

✓ **<u>आर्थिक विकास संबंधी योजनाएं</u>**

- अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ (एडब्ल्यूएससी) निधियों का आवंटन
- अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
- हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा संचालित योजनाएं
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा संचालित योजनाएं
- डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा संचालित योजनाएं
- राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) द्वारा संचालित योजनाएं
- अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना
- अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

✓ **<u>सामाजिक सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं</u>**

- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचर निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन संबंधी योजना ।
- अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता ।

<u>अनुबंध-III</u>
(पैरा 1.3 देखें)

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लिए संगत अन्य मंत्रालयों के महत्वपूर्ण कार्यक्रम

क्रम सं.	संबंधित मंत्रालय/विभाग	कार्यक्रम का नाम
1.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
		स्वच्छ भारत मिशन
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	समग्र शिक्षा और मिड-डे-मील (एमडीएम)
		राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम)
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
		मिशन इंद्रधनुष
		आयुषमान भारत स्कीम (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजएवाई)
		जननी सुरक्षा योजना
4.	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
		प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी)
		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
		दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (डीएवाई-एनआरएलएम)
		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)
5.	विद्युत मंत्रालय	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)
		प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
		बाय अफोरडेबल एलईडी एंड अप्लाएंसेज फॉर ऑल (उजाला)
6.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

7.	वित्त मंत्रालय	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
		प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
		प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
8.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
9.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	सायल हेल्थ कार्ड स्कीम
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
		राष्ट्रीय बागवानी मिशन
		पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकीकृत उद्यान कृषि विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई)
10.	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	पीएमजी-दिशा और सामान्य सेवा केन्द्र
11.	संचार मंत्रालय	टेलीकॉम कनेक्टिविटी/भारत नेट/पोस्टल बैंकिंग
12.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)
13.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	बाल और महिला श्रम को सहायता अनुदान
		कौशल विकास पहल
		क्रॉफ्टमेन ट्रेनिंग स्कीम
		एप्रेन्टिशिप ट्रेनिंग स्कीम
14.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)
		जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनःस्थापन (आरआरआर)
15.	भू-संसाधन विभाग	समेकित जल संभर विकास कार्यक्रम
16.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
17.	पंचायती राज मंत्रालय	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
18.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राष्ट्रीय बायोगैस एवं उर्वरक प्रबंधन कार्यक्रम
		सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम
19.	बैंक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण
		विभेदी ब्याज दर योजना

<u>अनुबंध-IV</u>

(पैरा 1.4 का संदर्भ लें)

समग्र जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों का विकास स्तर (प्रतिशत में)

	संकेतक (सूचना और संदर्भित वर्ष के स्रोत सहित)	**लक्ष समूह के घटक**	**अनुसूचित जातियां**	**कुल**
I. शैक्षिक विकास	साक्षरता दर (जनगणना, 2011)		66.1	73.0
	सकल नामांकन अनुपात (चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2006-07)	प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर शिक्षा	123.7 75.6 38.8 9.35	111.2 73.6 40.6 12.4
	बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर (चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2006-07)	कक्षा I-V कक्षा I-VIII कक्षा I-X	36.0 53.0 69.0	25.4 46.0 59.9
II. स्वास्थ्य एवं पोषण	शिशु मृत्यु (एनएफएचएस 2005-06)		50.7	41.5
	मातृ मृत्यु (एनएफएचएस 2005-06)		-	301
	संस्थानिक प्रसव (एनएफएचएस 2005-06)		32.9	51.0
	बच्चों का पूर्ण टीकाकरण (एनएफएचएस 2005-06)		39.7	53.8
	रक्त अल्पता वाली महिलाओं की प्रतिशतता (एनएफएचएस 2005-06)		58.3	51.3
	रक्त अल्पता वाले बच्चों की प्रतिशतता (एनएफएचएस 2005-06)		72.2	63.8
III. आर्थिक विकास	गरीबी की घटना (योजना आयोग 2004-05)	ग्रामीण शहरी	36.8 39.9	28.3 25.7
	भूमिहीनता की प्रतिशतता (एनएसएसओ 2004-05)		78.0	57.0*
	प्रति परिचालन जोत क्षेत्र का औसत आकार (हेक्टेयर) (कृषि जनगणना, 2010-11)		**0.80**	**1.15**

IV. मूलभूत सुविधाओं वाले परिवारों का %	सुरक्षित पेयजल (जनगणना, 2001)		81.1	79.2*
	शौचालय (जनगणना, 2001)		23.7	42.3*
	बिजली (जनगणना, 2001)		44.3	61.4*

* गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अनुबंध-V

(पैरा 1.5 का संदर्भ लें)

कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का राज्य-वार भाग

अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार श्रेणी	क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता
	1	*पंजाब*	*31.9*
	2	*राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली*	*26.1*
क) > 20%	*3*	हिमाचल प्रदेश	*25.2*
	4	पश्चिम बंगाल	*23.5*
	5	उत्तर प्रदेश	*21.2*
	6	हरियाणा	*20.7*
ख) 15-20 %	*7*	तमिलनाडु	*20.0*
	8	उत्तराखंड	*18.7*
	9	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	*18.8*
	10	त्रिपुरा	*17.8*
	11	राजस्थान	*17.8*
	12	उड़ीसा	*17.1*
	13	कर्नाटक	*17.1*
	14	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	*16.4*
	15	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	*15.8*
	16	बिहार	*15.9*
	17	मध्य प्रदेश	*15.6*
	18	झारखंड	*12.09*
ग) 10-15%	*19*	छत्तीसगढ़	*12.8*
	20	महाराष्ट्र	*11.8*
घ) 5-10%	*21*	केरल	*9.1*
	22	जम्मू और कश्मीर	*7.3*
	23	*असम*	*7.1*
	24	*गुजरात*	*6.7*
ङ) <5%	*25*	सिक्किम	*4.6*
	26	दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	*2.5*
	27	मणिपुर	*3.5*
	28	गोवा	*1.7*

	29	दादरा और नागर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	*1.8*
	30	अरुणाचल प्रदेश	*0.0*
	31	मेघालय	*0.59*
	32	मिजोरम	*0.1*
	33	नागालैंड	*0.0*
	34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	*0.0*
	35	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	*0.0*

(जनगणना 2011)

<u>अनुबंध-VI</u>

(पैरा 1.5 का संदर्भ लें)

50% से अधिक और 40% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों, ब्लॉकों और ग्रामों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

40% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी	**क्रम सं.**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जिलों, ब्लॉकों और ग्रामों की संख्या जिनमें**			
			>50% अनुसूचित जाति जनसंख्या है		**>40% अनुसूचित जाति जनसंख्या है**	
			जिला	**ग्राम**	**जिला**	**ग्राम**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(6)**		
I. 10000 से अधिक ग्राम वाले राज्य	1.	उत्तर प्रदेश	***0***	***9951***	***0***	***17429***
	2.	पश्चिम बंगाल	***1***	***7928***	***1***	***10806***
II. 2,000-10,000 ग्राम वाले राज्य	3.	राजस्थान	***0***	***2957***	***0***	***4917***
	4.	पंजाब	***0***	***2788***	***1***	***4785***
	5.	ओडिशा	***0***	***2728***	***0***	***4523***
	6.	बिहार	***0***	***2579***	***0***	***4429***
	7.	मध्य प्रदेश	***0***	***2241***	***0***	***4157***
	8.	हिमाचल प्रदेश	***0***	***2713***	***0***	***4048***
	9.	तमिलनाडु	***0***	***2397***	***0***	***3818***
	10.	कर्नाटक	***0***	***2333***	***0***	***3800***
	11.	झारखंड	***0***	***1865***	***0***	***2748***
	12.	उत्तराखंड	***0***	***1680***	***0***	***2525***
III. 200-2,000 ग्राम वाले राज्य	13.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	***0***	***993***	***0***	***2069***
	14.	छत्तीसगढ़	***0***	***1048***	***0***	***1510***
	15.	महाराष्ट्र	***0***	***690***	***0***	***1391***
	16.	असम	***0***	***903***	***0***	***1194***
	17.	हरियाणा	***0***	***440***	***0***	***838***
	18.	जम्मू-कश्मीर	***0***	***481***	***0***	***702***
IV. 200 से कम ग्राम वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	19.	गुजरात	***0***	***46***	***0***	***112***
	20.	त्रिपुरा	***0***	***34***	***0***	***69***
	21.	मणिपुर	***0***	***28***	***0***	***35***
	22.	पुडुचेरी	***0***	***9***	***0***	***18***

	23.	मेघालय	***0***	***11***	***0***	***14***
	24.	दिल्ली	***0***	***0***	***0***	***2***
	25.	केरल	***0***	***1***	***0***	***2***
		कुल	**1**	**46844**	**2**	**75941**

(जनगणना, 2001)

टिप्पणी: अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की 40% से अधिक जनसंख्या वाले कोई गांव नहीं हैं।

अनुबंध-**VII**
(पैरा **14** का संदर्भ लें**)**

केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार समितियों की संरचना

क. केन्द्रीय सलाहकार समिति :

1. मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) - **अध्यक्ष**
2. मंत्री (ग्रामीण विकास) - **सह-अध्यक्ष**
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)
4. सदस्य (अनुसूचित जाति विकास के प्रभारी), नीति आयोग
5. तीन संसद सदस्य :- लोक सभा के दो तथा राज्य सभा के एक सदस्य
6. पीएमएजीवाई राज्यों में निम्नलिखित के प्रभारी
   (i) अनुसूचित जाति कल्याण, और
   (ii) ग्रामीण विकास/पंचायती राज
7. सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता)
8. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागोंके प्रतिनिधि (सिफ संयुक्त सचिव के स्तर तक के अधिकारी):

   i) योजना आयोग
   ii) वित्तीय सेवाएं विभाग
   iii) व्यय विभाग
   iv) ग्रामीण विकास विभाग
   v) पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय,
   vi) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
   vii) उच्च शिक्षा विभाग,
   viii) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
   ix) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
   x) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय,
   xi) पंचायती राज मंत्रालय
   xii) विद्युत मंत्रालय,
   xiii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,
   xiv) दूरसंचार विभाग,
   xv) इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

9. महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ।
10. अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले अनुसूचित जाति कल्याण तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अधिकतम छह विशेषज्ञ/सामाजिक कार्यकर्ता।
11. संयुक्त सचिव (पीएमएजीवाई के प्रभारी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय - ***सदस्य-सचिव***

ख. राज्य सलाहकार समितियों की संरचना :

1. समाज कल्याण मंत्री - **अध्यक्ष**
2. ग्रामीण विकास मंत्री - **सह-अध्यक्ष**
3. निम्नलिखित राज्य विभागों के प्रतिनिधि :
   - I. योजना
   - II. पंचायती राज
   - III. महिला और बाल विकास
   - IV. शिक्षा
   - V. स्वास्थ्य
   - VI. पेयजल आपूर्ति
   - VII. गृह
   - VIII. लोक कार्य
   - IX. सिंचाई/जल संसाधन
   - X. ऊर्जा
   - XI. सूचना प्रौद्योगिकी
   - XII. अन्य संबंधित विभाग; यदि कोई हो।
4. राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का प्रधान ।
5. राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि ।
6. राज्य में दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि
7. अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम-से-कम छह विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता ।
8. राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि।
9. ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार से एक-एक प्रतिनिधि ।
10. राज्य सरकार के प्रधान सचिव, समाज कल्याण - **सदस्य सचिव**

अनुबंध-VIII

(पैरा 15 का संदर्भ लें)

केन्द्रीय तथा राज्य संचालन-सह-मानीटरिंग समिति की संरचना

क. केन्द्रीय संचालन-सह-मानीटरिंग समिति :

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग **अध्यक्ष**
2. निम्नलिखित विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) :-
   - i) नीति आयोग
   - ii) वित्तीय सेवाएं विभाग
   - iii) व्यय विभाग
   - iv) ग्रामीण विकास विभाग
   - v) पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय,
   - vi) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
   - vii) उच्च शिक्षा विभाग,
   - viii) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
   - ix) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
   - x) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय,
   - xi) पंचायती राज मंत्रालय
   - xii) विद्युत मंत्रालय,
   - xiii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,
   - xiv) दूरसंचार विभाग,
   - xv) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
3. राष्ट्रीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रमुख/नोडल अधिकारी ।
4. अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम दो विशेषज्ञ एवं दो सामाजिक कार्यकर्त्ता।
5. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय - **सदस्य सचिव** ।

ख. राज्य संचालन सह मानीटरिंग समिति :

1. मुख्य सचिव **अध्यक्ष**

2. निम्नलिखित राज्य विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि :-
   - i) योजना
   - ii) पंचायती राज
   - iii) ग्रामीण विकास
   - iv) महिला एवं बाल विकास
   - v) शिक्षा
   - vi) स्वास्थ्य

vii) पेयजल आपूर्ति
viii) गृह
ix) लोक निर्माण कार्य
x) सिंचाई/जल संसाधन
xi) ऊर्जा
xii) सूचना प्रौद्योगिकी
xiii) अन्य संबंधित विभाग, यदि कोई हो
xiv) राज्य अनुसूचित जाति आयोग

3. उन जिलों के पांच जिला पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक जिनके गांवों को कवर किया जा रहा है।
4. राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रमुख
5. राज्य में दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि
6. अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम दो विशेषज्ञ एवं दो सामाजिक कार्यकर्त्ता
7. राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि
8. ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार से एक-एक प्रतिनिधि
9. राज्य सरकार के प्रधान सचिव, समाज कल्याण - **सदस्य सचिव** ।

<u>अनुबंध-IX</u>
(पैरा 16 का संदर्भ लें)

राज्य, जिला और ग्राम स्तरीय पीएमएजीवाई अभिसरण समितियों की संरचना

क. राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति :

1. प्रधान सचिव **अध्यक्ष**
2. निम्नलिखित राज्य विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि :-
   - i) योजना
   - ii) पंचायती राज
   - iii) ग्रामीण विकास
   - iv) महिला एवं बाल विकास
   - v) शिक्षा
   - vi) स्वास्थ्य
   - vii) पेयजल आपूर्ति
   - viii) गृह
   - ix) लोक निर्माण कार्य
   - x) सिंचाई/जल संसाधन
   - xi) ऊर्जा
   - xii) सूचना प्रौद्योगिकी
   - xiii) अन्य संबंधित विभाग, यदि कोई हो
3. उन जिलों के जिला पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक जिनके गांवों को कवर किया जा रहा है।
4. राज्य में दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि ।
5. राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रमुख ।
6. राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि ।
7. राज्य सरकार के निदेशक, समाज कल्याण - **सदस्य सचिव** ।

ख. जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति :

1. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर - **अध्यक्ष**
2. निम्नलिखित विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि :-
   - i) ग्रामीण विकास
   - ii) महिला एवं बाल विकास
   - iii) शिक्षा
   - iv) स्वास्थ्य
   - v) पेयजल आपूर्ति
   - vi) लोक निर्माण

vii) सिंचाई/जल संसाधन
viii) खाद्य आपूर्ति
ix) ऊर्जा
x) कृषि
xi) विद्युत/डिस्कॉम
xii) सूचना प्रौद्योगिकी
xiii) अन्य संबंधित विभाग, यदि कोई हो

3. उन गांवों के ग्राम पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक जिनके गांवों को कवर किया जा रहा है।
4. दूर संचार विभाग/बीएसएनएल के प्रतिनिधि ।
5. राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रतिनिधि।
6. जिला के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि ।
7. जिला के जिला कल्याण अधिकारी - **सदस्य सचिव** ।

ग) ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति

1. ग्राम का सरपंच - **अध्यक्ष**
2. ग्राम पंचायत के सभी एससी सदस्य
3. एडब्ल्यूडब्ल्यू, आशा, एएनएम, इत्यादि
4. पंचायती राज तथा लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारी
5. एनआरईजीए के विलेज फील्ड वर्कर
6. विद्यालय का एक अध्यापक
7. अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि
8. ग्राम विकास अधिकारी
9. राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि - **विशेष आमंत्रित व्यक्ति, जब आवश्यक हो।**
10. ग्राम पंचायत के एससी सदस्यों में से एक सदस्य - **सदस्य सचिव**

अनुबंध-X

(पैरा 19 के संदर्भ में)

ग्राम संबंधी आवश्यकताओं के मूल्यांकन, अवसंरचनात्मक, व्यक्तिगत तथा अन्य अंतरों की पहचान, ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार करने एवं निगरानी के लिए प्रपत्र

(प्रपत्र I से VIII)

आवश्यकतापरक मूल्यांकन

प्रपत्र - I : ग्राम स्तरीय आँकड़ा

1. ग्राम स्तरीय आँकड़ा:

क्रम सं.	विवरण	नाम	एलजीडी कोड
1	राज्य:		
2	जिला:		
3	ब्लॉकः		
4	ग्राम पंचायत:		
5	ग्राम:		
6	ग्राम की जनसंख्याः (जनगणना, 2011 के अनुसार)		
7	ग्राम में अनुसूचित जाति की जनसंख्याः (जनगणना, 2011 के अनुसार)		
8	ग्राम में परिवारों की संख्याः (जनगणना, 2011 के अनुसार)		
9	आवश्यकतापरक मूल्यांकनपरिवारों के / सर्वेक्षण में कवर किए गए परिवारों की संख्याः		
10	आवश्यकतापरक मूल्यांकनपरिवारों के / सर्वेक्षण की अवधिः	सेः ..... तकः	

2. जीपीएस आंकड़ाः

1	ग्राम के जीपीएस समन्वयक	अक्षांशः ..... देशान्तर: .....

3. ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का ब्यौरा:

नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर	ईमेल-	पता	अभियुक्ति

प्रपत्र- II: अभिज्ञात आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अवसंरचना विकास एवं कार्य योजना के लिए ग्राम स्तरीय आँकड़ा

क्रम सं.	विवरण	नाम	एलजीडी कोड
1	राज्य:		
2	जिला:		
3	ब्लॉकः		
4	ग्राम पंचायत:		
5	ग्राम:		

1. कार्यक्षेत्रः पेयजल एवं स्वच्छता

1.1 निगरानीयोग्य संकेतक: *क्या ग्राम को कवर करने के लिए पर्याप्त पेयजल संसाधन उपलब्ध हैं?*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	*क्या ग्राम को कवर करने के लिए पर्याप्त पेयजल संसाधन उपलब्ध हैं?* (नहीं/हां)	(नहीं/हां)

ग्राम के लिए अतिरिक्त पेयजल संसाधन प्रदान करने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	ब्यौरा
1	
2	

1.2 निगरानी योग्य संकेतकः *स्वच्छ पेयजल प्रदत्त परिवारों का प्रतिशत*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	ग्राम में परिवारों की संख्या	
2	स्वच्छ पेय जल प्रदत्त परिवारों की संख्या	
3	स्वच्छ पेय जल प्रदत्त नहीं किये गये परिवारों की संख्या	

सभी परिवारों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा *(कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)*

क्रम.सं .	ब्यौरा
1	
2	

1.4 निगरानी योग्य संकेतकः *क्या ग्राम में सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालय हैं?*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	ग्राम में स्कूलों की संख्या	
2	ग्राम में आँगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
3	स्कूलों की संख्या जिनमें शौचालय हैं	
4	आँगनवाड़ी की संख्या जिनमें शौचालय हैं	
5	स्कूलों की संख्या जहां शौचालय बनाए जाने हैं	
6	आंगनवाड़ियों की संख्या जहां शौचालय बनाए जाने हैं	
7	स्कूलों के नाम जहां शौचालय बनाए जाने हैं	
8	आंगनवाड़ियों के नाम जहां शौचालय बनाए जाने हैं	

स्कूलों *एवं आँगनवाड़ियों में शौचालय बनाने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)*

क्रम .सं.	ब्यौरा
1	
2	

1.6 निगरानी योग्य संकेतकः *सभी आंतरिक सड़कों सहित उपलब्ध नालियों का प्रतिशतः*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	ग्राम में आंतरिक सड़कों की कुल लंबाई (मीटर में)	
2	आंतरिक सड़कों (मीटर में) के साथ पहले से उपलब्ध नालियों की कुल संख्या	
3	आंतरिक सड़कों (मीटर में)सहित अभी भी बनाये जाने वाली नालियों की कुल संख्या	

सभी आंतरिक सड़कों सहित नालियों के निर्माण के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	विवरण
1	
2	

1.7 निगरानी योग्य संकेतकः *मौजूदा कार्यरत नालियों का प्रतिशत*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	आंतरिक सड़कों सहित पहले से उपलब्ध नालियों की कुल लंबाई (मीटर में)	
2	कार्यरत नालियों (मीटर में) की कुल संख्या	

3	कार्य करने योग्य बनाये जाने वाली नालियों की कुल लंबाई (मीटर में)	

सभी नालियों को कार्य करने योग्य बनाने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	**विवरण**
1	
2	

1.8 निगरानी योग्य संकेतकः *ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावशाली ढंग से निपटान करने का प्रतिशत*

क्रम.सं .	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	एक माह के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की कुल मात्रा (लीटर में)	
2	एक माह के दौरान उत्पन्न तरल अपशिष्ट की कुल मात्रा (लीटर में)	
3	एक माह में समुचित रूप से निपटाये गये ठोस अपशिष्ट की मात्रा (लीटर में)	
4	एक माह में समुचित रूप से निपटाये गये तरल अपशिष्ट की मात्रा (लीटर में)	
5	जोड़े जाने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटान की क्षमता की मात्रा (लीटर में)	
6	जोड़े जाने वाले तरल अपशिष्ट के निपटान की क्षमता की मात्रा (लीटर में)	

ग्राम में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के 100% निपटान के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	**विवरण**
1	
2	

3. कार्य क्षेत्रः स्वास्थ्य एवं पोषणः

3.2 निगरानी योग्य संकेतकः *क्या कॉल करने पर आपातकालीन एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हैं?*

क्रम.सं .	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	क्या कॉल करने पर आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है	हां/नहीं

आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	विवरण
1	
2	

3.11 निगरानी योग्य संकेतकः *क्या सभी आँगनवाड़ियों का निर्माण कर लिया गया हैं?*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम	
1	ग्राम में आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या		
2	अपने भवन वाले आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या		
3	आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या जिनका निर्माण किया जाना है		
4	आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थान जहाँ निर्माण किया जाना हैं	क्रम सं.	स्थान

आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	विवरण
1	
2	

5. कार्य क्षेत्रः ग्रामीण सड़क एवं आवास

5.1 निगरानी योग्य संकेतकः *क्या ग्राम को हरेक किस्म के मौसम की सड़कों से जोड़ा गया है?*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति
1	*क्या ग्राम को हरेक किस्म के मौसम की सड़कों से जोड़ा गया है?*	हां/नहीं

ग्राम को हरेक किस्म के मौसम की सड़क से संपर्क प्रदान करने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	विवरण
1	
2	

5.2 निगरानी योग्य संकेतकः *आंतरिक सड़कों का प्रतिशत जिन पर सीसी/ब्रिक-टॉप/पक्का/टाइलें लगाई*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति
1	ग्राम में आंतरिक सड़कों की कुल लंबाई (मीटर में)	
2	*आंतरिक सड़कों की लंबाई (मीटर में) जिन पर (सीसी/ब्रिक-टॉप/पक्का/टाइलें लगाई)*	
3	बनाई जाने वाली आंतरिक सड़कों की लंबाई (मीटर में)	

सीसी/ब्रिक-टॉप/पक्का/टाइलें प्रदान करने के लिए कार्य-योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	विवरण
1	
2	

6. कार्य क्षेत्रः बिजली एवं स्वच्छ ईंधन

6.1 निगरानी योग्य संकेतकः *क्या ग्राम में बिजली लगाई गई हैं?*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति
1	*क्या ग्राम में बिजली लगाई गई हैं?*	हां/नहीं

यदि नहीं,*ग्राम के विद्युतीकरण के लिए कार्य योजना का-ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)*

क्रम.सं .	विवरण
1	
2	

6.2 निगरानी योग्य संकेतकः *परिवारों का प्रतिशत जिन्हें बिजली कनेक्शन दिए गए हैं*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	ग्राम में परिवारों की संख्या	
2	बिजली कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या	
3	उन परिवारों की संख्या जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है	

सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए कार्ययोजना का ब्यौरा- (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	विवरण
1	
2	

6.5 निगरानी योग्य संकेतकः *आंतरिक सड़कों का प्रतिशत जिन पर स्ट्रीट लाईट की सुविधा उपलब्ध है*

क्रम.सं .	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	आंतरिक सड़को की कुल लंबाई (मीटर में)	
2	स्ट्रीट लाईट वाली आंतरिक सड़को की लंबाई (मीटर में)	
3	स्ट्रीट लाईट रहित आंतरिक सड़को की लंबाई (मीटर में)	

स्ट्रीट लाईट की सुविधा प्रदान करके आंतरिक सड़कों के 100% कवरेज के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	विवरण
1	

2	

9. कार्य क्षेत्रः डिजीटलीकरण

9.1 निगरानी योग्य संकेतकः *क्या ग्राम को इंटरनेट से जोड़ा गया है?*

क्रम .सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	*क्या ग्राम को इंटरनेट से जोड़ा गया है?*	हां/नहीं

ग्राम में इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	**विवरण**
1	

9.2 निगरानी योग्य संकेतकः *क्या ग्राम में कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा साईबर कैफे की सुविधा उपलब्ध है?*

क्रम.सं .	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	*क्या ग्राम में कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा साईबर कैफे की सुविधा उपलब्ध है ?*	हां/नहीं

ग्राम में कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा साईबर कैफे की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य योजना का-ब्यौरा (कृपया अभिज्ञात कार्यों/पहलों की मदवार सूची प्रदान करें)

क्रम.सं .	**विवरण**
1	
2	
3	

आवश्यकता परक मूल्यांकन

प्रपत्र - III(क): लाभार्थी उन्मुखी पहलों के लिए परिवार स्तरीय आंकड़ा

क्रम सं.	विवरण	नाम	एलजीडी कोड
1.	राज्य:		
2.	जिला:		
3.	ब्लाक:		
4.	ग्राम पंचायत:		
5.	ग्राम:		

6.	श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	
7.	क्या आपने पहले इस परिवार का ब्यौरा दर्ज किया है	
8.	मकान नं./पता	
9.	परिवार के मुखिया का नाम	
10.	परिवार में सदस्यों की संख्या	

1. कार्यक्षेत्र : पेयजल और स्वच्छता

1.3 निगरानी योग्य संकेतक: अलग-अलग परिवार शौचालय (आईएचएचएल) वाले परिवारों का %

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	क्या परिवारों के व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) हैं?	
2	यदि नहीं, क्या परिवार स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के पात्र हैं?	
3	यदि हां, परिवार के सदस्य का नाम जिसे एसबीएम-जी/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) प्रदान किया जाना है।	

1.5 निगरानी योग्य संकेतक: क्या गांवों में लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं?

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	क्या गांवों में लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं?	हां/नहीं

2. कार्यक्षेत्र: शिक्षा

2.1 निगरानी योग्य संकेतक: प्राथमिक स्कूलों में बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	परिवार में बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
2	परिवार में प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
3	परिवार में प्राथमिक स्कूलों में नहीं जाने वाले बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
4	परिवार में प्राथमिक स्कूलों में नहीं जाने वाले बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों के नाम	

2.2 कार्यक्षेत्र: शिक्षा

निगरानी योग्य संकेतक: मिडिल स्कूलों में बालक और बालिकाओं (11-13 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	परिवार में बालक एवं बालिका(11-13 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
2	परिवार में मिडिल स्कूल जाने वाले बालक एवं बालिका(11-13 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
3	परिवार में मिडिल स्कूल नहीं जाने वाले बालक एवं बालिका(11-13 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
4	परिवार में मिडिल स्कूल नहीं जाने वाले बालक एवं बालिकाओं (11-13 वर्ष) दोनों के नाम	

2.3 निगरानी योग्य संकेतक: माध्यमिक स्कूलों में बालक और बालिकाओं (14-15 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	परिवार में बालक एवं बालिका(14-15 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	

2	परिवार में माध्यमिक स्कूल जाने वाले बालक एवं बालिका(14-15 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
3	परिवार में माध्यमिक स्कूल नहीं जाने वाले बालक एवं बालिका(14-15 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
4	परिवार में माध्यमिक स्कूल नहीं जाने वाले बालक एवं बालिका(14-15 वर्ष) दोनों के नाम	

2.4 निगरानी योग्य संकेतक: उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बालक और बालिकाओं (16-17 वर्ष), दोनों की उपस्थिति का %

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में बालक एवं बालिका(16-17 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
2	परिवार में उच्च्तर माध्यमिक स्कूल जाने वाले बालक एवं बालिका(16-17 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
3	परिवार में उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं जाने वाले बालक एवं बालिका(16-17 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
4	परिवार में उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं जाने वाले बालक एवं बालिका(16-17 वर्ष) दोनों के नाम	

2.5 निगरानी योग्य संकेतक: उच्चतर माध्यमिकोत्तर शिक्षा के अंतर्गत बालक और बालिकाओं (18-23 वर्ष), दोनों की उपस्थिति का %

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में बालक एवं बालिका(18-23 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
2	परिवार में उच्च्तर माध्यमिकोत्तर स्कूल जाने वाले बालक एवं बालिका(18-23 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	
3	परिवार में उच्चतर माध्यमिकोत्तर स्कूल नहीं जाने वाले बालक एवं बालिका(18-23 वर्ष) दोनों की कुल संख्या	

4	परिवार में उच्चतर माध्यमिकोत्तर स्कूल नहीं जाने वाले बालक एवं बालिका(18-23 वर्ष) दोनों के नाम	

2.6 निगरानी योग्य संकेतक: मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत (स्कूल जाने वाले तथा पात्र छात्रों में से)

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	एससी परिवार के मामले में, एससी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की संख्या	
2	एससी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे बच्चों (उपरोक्त 1 में से) की संख्या	
3	एससी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे बच्चों (उपरोक्त 1 में से) की संख्या	
4	एससी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे बच्चों (उपरोक्त 1 में से) के नाम	

2.7 निगरानी योग्य संकेतक: मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत (मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे और पात्र छात्रों में से)

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	एससी परिवार के मामले में, एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की संख्या	
2	एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे बच्चों (उपरोक्त 1 में से) की संख्या	
3	एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे बच्चों (उपरोक्त 1 में से) की संख्या	
4	एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे बच्चों (उपरोक्त 1 में से) के नाम	

3. कार्यक्षेत्र: स्वास्थ्य और पोषण

3.1 निगरानी योग्य संकेतक: किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों का प्रतिशत

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1.	क्या परिवार किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर है?	हां/नहीं
2.	यदि नहीं, क्या परिवार किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र है?	हां/नहीं
3.	यदि हां, किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले परिवार के सदस्य का नाम?	

3.3 निगरानी योग्य संकेतक: गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जो गंभीर रूप से अरक्त है

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	परिवार में उन महिलाओं की संख्या, जो गर्भवती हैं	
2	परिवार में उन गर्भवती महिलाओं की संख्या, जो गंभीर रूप से अरक्त हैं	
3	परिवार में उन गर्भवती महिलाओं का नाम, जो गंभीर रूप से अरक्त हैं	

3.4 निगरानी योग्य संकेतक: पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में संस्थागत प्रसूतियों का प्रतिशत

क्रम सं.	विवरण	संख्या/नाम/कारण
1	पिछले एक वर्ष के दौरान परिवार में प्रसूतियों की संख्या	
2	पिछले एक वर्ष के दौरान परिवार में गैर संस्थागत प्रसूतियों की संख्या	
3	उन गर्भवती महिलाओं के नाम, जिनकी गैर संस्थागत प्रसूति हुई थी और तत्संबंधी कारण	

3.5 निगरानी योग्य संकेतक: पिछले एक वर्ष के दौरान जन्मे कम वजन के नवजात बच्चों का प्रतिशत

क्रम सं.	विवरण	संख्या/नाम/कारण
1	परिवार में पिछले वर्ष जन्में नवजात बच्चों की संख्या	

2	परिवार में पिछले वर्ष के दौरान कम वजन के जन्में नवजात बच्चों की संख्या	
3	कम वजन के जन्में नवजात बच्चों के नाम और तत्संबंधी कारण	

3.6 निगरानी योग्य संकेतक: बच्चों (< 1 वर्ष) के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या	
2	टीकाकरण नहीं किए गए बच्चों(< 1 वर्ष) की संख्या	
3	टीकाकरण नहीं किए गए बच्चों(< 1 वर्ष) के नाम	

3.7 निगरानी योग्य संकेतक: ग्रामों में कम वजन वाले बच्चों (0-5 वर्ष) का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में बच्चों (0-5 वर्ष) की संख्या	
2	कम वजन वाले बच्चों (0-5 वर्ष) की संख्या	
3	कम वजन वाले बच्चों (0-5 वर्ष) का नाम	

3.8 निगरानी योग्य संकेतक: पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई?

क्रम सं.	**विवरण**	**संख्या/नाम/कारण**
1	परिवार में उन महिलाओं की संख्या जो पिछले एक वर्ष के दौरान गर्भवती थी?	
2	परिवार में उन गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनकी पिछले एक वर्ष के दौरान मृत्यु हुई?	
3	परिवार में उन गर्भवती महिलाओं नाम, जिनकी पिछले एक वर्ष के दौरान मृत्यु हुई और तत्संबंधी कारण	

3.9 निगरानी योग्य संकेतक: पिछले एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों (< 1 वर्ष) की मृत्यु हुई?

क्रम सं.	**विवरण**	**संख्या/नाम/कारण**
1	परिवार में बच्चों(< 1 वर्ष) की संख्या	
2	पिछले एक वर्ष के दौरान, परिवार के कितने बच्चों(< 1 वर्ष) की मृत्यु हुई	

3	परिवार के उन बच्चों (< 1 वर्ष) के नाम, जिनकी मृत्यु पिछले वर्ष के दौरान हुई और तत्संबंधी कारण	

3.10 निगरानी योग्य संकेतक: प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार प्राप्त कर रहे संक्रामक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार के सदस्यों की संख्या, जो संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हैं।	
2	परिवार के उन व्यक्तियों की संख्या जो संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हैं और प्रोटोकाल के अनुसार उपचार प्राप्त कर रहे हैं।	
3	परिवार के उन व्यक्तियों की संख्या जो संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हैं और प्रोटोकाल के अनुसार उपचार प्राप्त नहीं कर रहे हैं।	
4	परिवार के उन व्यक्तियों के नाम जो संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हैं और प्रोटोकाल के अनुसार उपचार प्राप्त नहीं कर रहे हैं।	

4. कार्यक्षेत्र: समाज सुरक्षा

4.1 निगरानी योग्य संकेतक: विधवा पेंशन प्राप्त पात्र महिलाओं का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में विधवा पेंशन के लिए पात्र महिलाओं की संख्या	
2	परिवार में विधवा पेंशन प्राप्त पात्र महिलाओं की संख्या	
3	परिवार में विधवा पेंशन गैर प्राप्त पात्र महिलाओं की संख्या	
4	परिवार में विधवा पेंशन गैर प्राप्त पात्र महिलाओं के नाम	

4.2 निगरानी योग्य संकेतक: वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में उन व्यक्तियों की संख्या जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं	

2	वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों की संख्या	
3	उन पात्र व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्रदान नहीं की गई है	
4	उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्रदान नहीं की गई है	

4.3 निगरानी योग्य संकेतक: दिव्यांग पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में उन व्यक्तियों की संख्या जो दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र हैं	
2	दिव्यांग पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों की संख्या	
3	दिव्यांग पेंशन गैर-प्राप्त पात्र व्यक्तियों की संख्या	
4	दिव्यांग पेंशन गैर-प्राप्त पात्र व्यक्तियों के नाम	

5. कार्यक्षेत्र: ग्रामीण सड़कें और आवास

5.3 निगरानी योग्य संकेतक: कच्चे/असुरक्षित घरों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	क्या परिवार कच्चे/असुरक्षित घर में रहता है?	हां/नहीं
2	क्या परिवार पीएमएवाई-जी/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत एक घर का पात्र है?	हां/नहीं
3	क्या परिवार को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहले ही एक घर आबंटित किया गया है?	हां/नहीं
4	यदि नहीं, तो पीएमएवाई-जी के अंतर्गत घर प्रदान किए जाने के लिए परिवार के सदस्यों का नाम	

6. कार्यक्षेत्र: बिजली और स्वच्छ ईंधन

6.2 निगरानी योग्य संकेतक: परिवारों का प्रतिशत, जिन्हें बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	क्या घर में बिजली का कनेक्शन है	हां/नहीं

2	यदि नहीं, तो क्या परिवार सौभाग्य योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत बिजली कनेक्शन के लिए पात्र है	हां/नहीं
3	यदि हां, तो परिवार के सदस्य का नाम, जिसे सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाना है	

6.3 निगरानी योग्य संकेतक: परिवारों का प्रतिशत जो कम से कम एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	क्या परिवार के पास बिजली कनेक्शन है	हां/नहीं
2	क्या परिवार में कम से कम एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है	हां/नहीं
3	यदि नहीं, तो परिवार के सदस्य का नाम जिसे एलईडी बल्ब प्रदान किया जाना है	

6.4 निगरानी योग्य संकेतक: परिवारों का प्रतिशत जिन्हें गैस कनेक्शन दिए गए हैं

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	क्या परिवार स्वच्छ इंधन का प्रयोग करता है	हां/नहीं
2	यदि नहीं, तो क्या घर उज्ज्वला योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत गैस कनेक्शन का पात्र है	हां/नहीं
3	यदि हां, तो परिवार के उस सदस्य का नाम जिसे उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान किया जाना है	

7. कार्यक्षेत्र: कृषि संबंधी पद्धतियां

7.1 निगरानी योग्य संकेतक: पात्र किसानों का प्रतिशत जिन्हें सॉयल हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए हैं

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	क्या परिवार कृषि में शामिल हैं	हां/नहीं

2	यदि हां, क्या परिवार सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए पात्र है	हां/नहीं
3	यदि हां, तो उस परिवार के सदस्य का नाम जिसके नाम सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया जाना है	

7.2 निगरानी योग्य संकेतक: अनुकरण की गई आर्गेनिक खेती संबंधी पद्धतियों की प्रमात्रा (प्रतिशत में)

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	क्या परिवार कृषि में शामिल है?	हां/नहीं
2	यदि हां, क्या परिवार ने आर्गेनिक खेती संबंधी पद्धति अपनाई है?	हां/नहीं
3	यदि नहीं, तो क्या परिवार आर्गेनिक खेती संबंधी पद्धति अपनाने के लिए तैयार है?	हां/नहीं
4	यदि हां, तो परिवार के सदस्य का नाम जो आर्गेनिक खेती संबंधी पद्धति अपनाना चाहता है।	

7.3 निगरानी योग्य संकेतक: अनुकरण की गई जलागम प्रबंधन पद्धतियों की प्रमात्रा (प्रतिशत में)

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	क्या परिवार कृषि में शामिल है?	हां/नहीं
2	यदि हां, क्या परिवार ने जलागम प्रबंधन पद्धति अपनाई है?	हां/नहीं
3	यदि नहीं, तो क्या परिवार जलागम प्रबंधन पद्धति को अपनाने के लिए तैयार है?	हां/नहीं
4	यदि हां, तो परिवार के सदस्य का नाम जो जलागम प्रबंधन पद्धति को अपनाना चाहता है?	

8. कार्यक्षेत्र: वित्तीय अंतर्वेशन

8.1 निगरानी योग्य संकेतक: गांवों में रहने वाले लोगों (>5 वर्ष) का प्रतिशत जिनके पास आधार पहचान पत्र हैं

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार के (> 5 वर्ष) सदस्यों की संख्या	

2	परिवार के (> 5 वर्ष) सदस्यों की संख्या जिनके पास पहले से ही आधार पहचान पत्र हैं	
3	परिवार के (> 5 वर्ष) सदस्यों की संख्या जिनके पास आधार पहचान पत्र नहीं है।	
4	परिवार के (> 5 वर्ष) सदस्यों के नाम जिनके पास आधार पहचान पत्र नहीं हैं	

8.2 निगरानी योग्य संकेतक: बैंकों/डाकघरों में खाते रखने वाले परिवारों का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में सदस्यों की संख्या (18 वर्ष से अधिक) जो बैंकों/डाकघर में खाता खोलने के पात्र हैं	
2	परिवार के उन पात्र सदस्यों की संख्या जिनका बैंक/डाकघर में खाता है	
3	परिवार के उन पात्र सदस्यों की संख्या जिनका बैंक/डाकघर में खाता नहीं है	
4	परिवार के उन पात्र सदस्यों के नाम जिनका बैंक/डाकघर में खाता नहीं है	

8.3 निगरानी योग्य संकेतक: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना/अन्य किसी योजना (योजनाओं) के अंतर्गत कवर करने के लिए परिवार के पात्र सदस्यों (18 - 70 वर्ष) की संख्या	
2	परिवार के उन पात्र सदस्यों की संख्या जो प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना/अन्य किसी योजना (योजनाओं) में कवर नहीं हैं	
3	परिवार के उन पात्र सदस्यों के नाम जो प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना/अन्य किसी योजना (योजनाओं) में कवर नहीं हैं	

8.4 निगरानी योग्य संकेतक: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना *(पीएमजेजेबीवाई)* के अंतर्गत शामिल पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	परिवार में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/अन्य किसी योजना (योजनाओं) के अंतर्गत कवर करने के लिए परिवार के पात्र (18-50 वर्ष) सदस्यों की संख्या	
2	परिवार के उन पात्र सदस्यों की संख्या जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/अन्य किसी योजना (योजनाओं) में कवर नहीं हैं	
3	परिवार के उन पात्र सदस्यों के नाम जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/अन्य किसी योजना (योजनाओं) में कवर नहीं हैं	

9. कार्यक्षेत्र: डिजिटलीकरण

9.3 निगरानी योग्य संकेतक: पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत जो डिजिटली शिक्षित हैं

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम
1	परिवार के उन सदस्यों (14-60 वर्ष) की संख्या, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)/अन्य किसी योजना (योजनाओं) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं	
2	परिवार के उन पात्र सदस्यों की संख्या जो डिजिटली शिक्षित हैं	
3	परिवार के उन पात्र सदस्यों की संख्या जिन्हें पीएमजीडीआईएसएचए/अन्य किसी योजना (योजनाओं) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाना है	
4	परिवार के उन पात्र सदस्यों के नाम जिन्हें पीएमजीडीआईएसएचए/अन्य किसी योजना (योजनाओं) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाना है	

10. कार्यक्षेत्र: आजीविका और कौशल विकास

10.1 निगरानी योग्य संकेतक: कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवकों का प्रतिशत

क्रम सं.	विवरण	स्थिति/संख्या/नाम

1	परिवार में युवाओं की संख्या जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं	
2	परिवार में उन पात्र युवाओं की संख्या जिन्हें पहले से ही कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है	
3	परिवार में उन पात्र युवाओं की संख्या जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना है	
4	परिवार में उन पात्र युवाओं के नाम जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना है	

10.2 निगरानी योग्य संकेतक: पात्र युवकों का प्रतिशत जो बैंक से ऋण प्राप्त कर सके हैं

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	परिवार में युवाओं की संख्या जो बैंक से जुड़े ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं	
2	परिवार में युवाओं की संख्या जो बैंक से ऋण प्राप्त कर चुके हैं	
3	परिवार में उन पात्र युवाओं की संख्या जो अभी भी बैंक से ऋण प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं तथापि, अब ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं	
4	परिवार में उन पात्र युवाओं के नाम जो बैंक से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं	

10.3 निगरानी योग्य संकेतक: *उन* परिवारों का प्रतिशत जिनसे कम से कम एक सदस्य किसी स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य है

क्रम सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या/नाम**
1	क्या परिवार का कोई सदस्य किसी स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य है?	हां/नहीं
2	यदि नहीं, तो परिवार के सदस्यों की संख्या जो एसएचजी का सदस्य बनना चाहते हैं	
3	ऐसे सदस्यों के नाम	

आवश्यकतापरक मूल्यांकन

प्रपत्र - III (ख): लाभार्थी उन्मुखी पहल कार्यों के लिए परिवार संबंधी आंकड़ों का समेकन और आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्य-योजना

क्र.सं.	**विवरण**	**नाम**	**एलजीडी कोड**

1	राज्य:		
2	जिला:		
3	ब्लॉक:		
4	ग्राम पंचायत:		
5	ग्राम:		

1. कार्यक्षेत्र: पेयजल और स्वच्छता

1.3 निगरानी योग्य संकेतक: *व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) वाले परिवारों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	उन परिवारों की संख्या जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएलएल) नहीं हैं	हां/नहीं
2	उन परिवारों की संख्या जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएलएल) नहीं हैं परन्तु वे स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत पात्र हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

1.5 निगरानी योग्य संकेतक: *क्या गांव में लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं?*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	उन परिवारों की संख्या जिनके सदस्य अभी भी खुले में शौच करते हैं	हां/नहीं

2. कार्यक्षेत्र: शिक्षा

2.1 निगरानी योग्य संकेतक: *प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों (6-10 वर्ष), बालक और बालिकाओं दोनों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में बच्चों की संख्या (6-10 वर्ष), बालक और बालिकाएं दोनों	
2	प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले गांव के बच्चों (6-10 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	
3	प्राथमिक स्कूलों में न जाने वाले गांव के बच्चों (6-10 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

2.2 निगरानी योग्य संकेतक: *मिडिल स्कूलों में जाने वाले बच्चों (11-13 वर्ष), बालक और बालिकाओं दोनों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में बच्चों की संख्या (11-13 वर्ष), बालक और बालिकाएं दोनों	
2	मिडिल स्कूलों में जाने वाले गांव के बच्चों (11-13 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	
3	मिडिल स्कूलों में न जाने वाले गांव के बच्चों (11-13 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

2					

2.3 निगरानी योग्य संकेतक: *माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों (14-15 वर्ष), बालक और बालिकाओं दोनों का प्रतिशत*

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या**
1	गांव में बच्चों की संख्या (14-15 वर्ष), बालक और बालिकाएं दोनों	
2	माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले गांव के बच्चों (14-15 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	
3	माध्यमिक स्कूलों में न जाने वाले गांव के बच्चों (14-15 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	**लाभार्थियों का ब्यौरा**				**पहल कार्यों का ब्यौरा**
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	**मकान सं./ पता**	**परिवार के मुखिया का नाम**	**लाभार्थी का नाम**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1					
2					

2.4 निगरानी योग्य संकेतक: *उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों (16-17 वर्ष), बालक और बालिकाओं दोनों का प्रतिशत*

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या**
1	गांव में बच्चों की संख्या (16-17 वर्ष), बालक और बालिकाएं दोनों	
2	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले गांव के बच्चों (16-17 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	
3	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में न जाने वाले गांव के बच्चों (16-17 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

	लाभार्थियों का ब्यौरा	**पहल कार्यों का ब्यौरा**

क्र. सं.	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

2.5 निगरानी योग्य संकेतक: *उच्चतर माध्यमिकोत्तर स्कूलों में जाने वाले बच्चों (18-23 वर्ष), बालक और बालिकाओं दोनों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में बच्चों की संख्या (18-23 वर्ष), बालक और बालिकाएं दोनों	
2	उच्चतर माध्यमिकोत्तर स्कूलों में जाने वाले गांव के बच्चों (18-23 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	
3	उच्चतर माध्यमिकोत्तर स्कूलों में न जाने वाले गांव के बच्चों (18-23 वर्ष) की संख्या, बालक-बालिकाएं दोनों	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

2.6 निगरानी योग्य संकेतक: *(स्कूल जाने वाले पात्र छात्रों में से) मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र, गांव में अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या	
2	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले (ऊपर 1 में से) बच्चों की संख्या	

3	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले (ऊपर 1 में से) बच्चों की संख्या	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	**लाभार्थियों का ब्यौरा**				**पहल कार्यों का ब्यौरा**
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	**मकान सं./ पता**	**परिवार के मुखिया का नाम**	**लाभार्थी का नाम**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1					
2					

2.7 निगरानी योग्य संकेतक: *मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों का प्रतिशत (उनमें से जो मैट्रकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और पात्र हैं)*

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या**
1	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र, गांव में अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या	
2	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले (ऊपर 1 में से) बच्चों की संख्या	
3	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले (ऊपर 1 में से) बच्चों की संख्या	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	**लाभार्थियों का ब्यौरा**				**पहल कार्यों का ब्यौरा**
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	**मकान सं./ पता**	**परिवार के मुखिया का नाम**	**लाभार्थी का नाम**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1					
2					

3. कार्यक्षेत्र: स्वास्थ्य और पोषण

3.1 निगरानी योग्य संकेतक: *किसी भी स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत समाविष्ट पात्र परिवारों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	किसी भी स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत समाविष्ट किए जाने हेतु पात्र परिवारों की संख्या?	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

3.3 निगरानी योग्य संकेतक: *उन गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिनमें खून की बेहद कमी है:*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में गर्भवती महिलाओं की संख्या	
2	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनमें खून की बेहद कमी है	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

3.4 निगरानी योग्य संकेतक: *पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में संस्थागत प्रसूति संबंधी प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में प्रसूति संबंधी मामलों की संख्या	

2	पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में गैर-संस्थागत प्रसूति संबंधी मामलों का प्रतिशत	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				गैर-संस्थागत प्रसव के मामलों का कारण	पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1						
2						

3.5 निगरानी योग्य संकेतक: *पिछले एक वर्ष के दौरान जन्मे कम वजन के बच्चों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में पिछले एक वर्ष के दौरान जन्मे बच्चों की संख्या	
2	पिछले एक वर्ष के दौरान जन्मे उन बच्चों का प्रतिशत जिनका वजन जन्म के समय कम था	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				जन्म के समय कम वजन का कारण	पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1						
2						

3.6 निगरानी योग्य संकेतक: *बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत (< 1 वर्ष)*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या	
2	गांव में एक वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

3.7 निगरानी योग्य संकेतक: *गांव में कम वजन के बच्चों (0-5 वर्ष) का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में 0-5 वर्ष के बच्चों की संख्या	
2	गांव में 0-5 वर्ष के उन बच्चों की संख्या जिनका वजन कम है	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

3.8 निगरानी योग्य संकेतक: *पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई?*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	*पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में गर्भवती महिलाओं की संख्या*	
2	*पिछले एक वर्ष के दौरान उन गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी मृत्यु हुई*	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				मृत्यु के कारण	पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1						
2						

3.9 निगरानी योग्य संकेतक: *पिछले एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों (< 1 वर्ष) की मृत्यु हुई?*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में 1 वर्ष से कम आयु समूह के कितने बच्चे थे	
2	पिछले 1 वर्ष के दौरान, 1 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों की मृत्यु हुई	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				मृत्यु के कारण	पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1						
2						

3.10 निगरानी योग्य संकेतक: *प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज करा रहे संक्रामक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में संक्रामक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या	
2	प्रोटोकॉल के अनुसार, इलाज करा रहे गांव में संक्रामक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या	
3	प्रोटोकॉल के अनुसार, गांव में संक्रामक बीमारियों से ग्रसित उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अभी भी इलाज कराना है	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

4. कार्यक्षेत्र: समाज रक्षा

4.1 निगरानी योग्य संकेतक: *विधवा पेंशन पाने वाली पात्र महिलाओं का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में विधवा पेंशन हेतु पात्र महिलाओं का संख्या	
2	*विधवा पेंशन पाने वाली पात्र महिलाओं की संख्या*	
3	*गांव की उन पात्र महिलाओं की संख्या जिन्हें विधवा पेंशन नहीं दी गई है*	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

4.2 निगरानी योग्य संकेतक: *वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव के उन व्यक्तियों की संख्या जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं	
2	गांव में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या	
3	गांव में उन पात्र व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी गई है	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

4.3 निगरानी योग्य संकेतक: *दिव्यांगता पेंशन पाने वाले पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में दिव्यांगता पेंशन हेतु पात्र व्यक्तियों की संख्या	
2	गांव में दिव्यांगता पेंशन पाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या	
3	गांव में उन पात्र व्यक्तियों की संख्या जिन्हें दिव्यांगता पेंशन नहीं दी गई है	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

5. कार्यक्षेत्र: ग्रामीण सड़कें और आवास

5.3 निगरानी योग्य संकेतक: *कच्चे/असुरक्षित मकानों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	कच्चे/असुरक्षित मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या	
2	कच्चे/असुरक्षित मकानों में रहने वाले उन परिवारों की संख्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी)/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत मकान के पात्र हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

6. कार्यक्षेत्र: विद्युत और स्वच्छ ईंधन

6.2 निगरानी योग्य संकेतक: *विद्युत संयोजनयुक्त परिवारों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में परिवारों की कुल संख्या	
2	*विद्युत संयोजनयुक्त* परिवारों की संख्या	
3	सौभाग्य योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन दिए जाने वाले पात्र परिवारों की संख्या	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

6.3 निगरानी योग्य संकेतक: *कम से कम एक एलईडी बल्ब प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में परिवारों की कुल संख्या	
2	उन परिवारों की संख्या जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन है	
3	बिजली क्नेक्शनयुक्त उन परिवारों की संख्या जो अपने घरों में कम से कम एक एलईडी बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं	

4	उन परिवारों की संख्या जिन्हें उजाला योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत एलईडी बल्ब दिए जाने हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	**लाभार्थियों का ब्यौरा**				**पहल कार्यों का ब्यौरा**
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	**मकान सं./ पता**	**परिवार के मुखिया का नाम**	**लाभार्थी का नाम**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1					
2					

6.4 निगरानी योग्य संकेतक: *गैस कनेक्शन वाले परिवारों का प्रतिशत*

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या**
1	गांव में परिवारों की संख्या	
2	उन परिवारों की संख्या जो अपने घरों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं	
3	उज्ज्वला योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत उन पात्र परिवारों की संख्या जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	**लाभार्थियों का ब्यौरा**				**पहल कार्यों का ब्यौरा**
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	**मकान सं./ पता**	**परिवार के मुखिया का नाम**	**लाभार्थी का नाम**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1					
2					

7. कार्यक्षेत्र: कृषि पद्धतियां

7.1 निगरानी योग्य संकेतक: *सॉयल हेल्थ कॉर्ड प्रदत्त पात्र किसानों का प्रतिशत*

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या**

1	गांव में खेती संबंधी कार्यकलापों में संलग्न परिवारों की संख्या	
2	उन पात्र परिवारों की संख्या जिन्हें अभी सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जाने हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	**लाभार्थियों का ब्यौरा**				**पहल कार्यों का ब्यौरा**
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	**मकान सं./ पता**	**परिवार के मुखिया का नाम**	**लाभार्थी का नाम**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1					
2					

7.2 निगरानी योग्य संकेतक: *अपनाई गई जैविक खेती पद्धतियों की सीमा (प्रतिशत में)*

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या**
1	गांव में खेती संबंधी कार्यकलापों में संलग्न परिवारों की संख्या	
2	उन परिवारों की संख्या जिन्होंने पहले से ही ऑर्गेनिक खेती पद्धतियां अपनाई हैं	
3	उन पात्र परिवारों की संख्या जो ऑर्गेनिक खेती पद्धतियां अपनाने के इच्छुक हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	**लाभार्थियों का ब्यौरा**				**पहल कार्यों का ब्यौरा**
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	**मकान सं./ पता**	**परिवार के मुखिया का नाम**	**लाभार्थी का नाम**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1					
2					

7.3 निगरानी योग्य संकेतक: *अपनाई गई जलागम प्रबंधन पद्धतियों की सीमा (प्रतिशत में)*

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थिति/संख्या**
1	गांव में खेती संबंधी कार्यकलापों में संलग्न परिवारों की संख्या	
2	उन परिवारों की संख्या जिन्होंने पहले ही जलागम पद्धतियां अपना ली हैं	
3	उन परिवारों की संख्या जो जलागम पद्धतियां अपनाने के इच्छुक हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

8. कार्यक्षेत्र: वित्तीय अंतर्वेशन

8.1 निगरानी योग्य संकेतक: *गांवों में रहने वाले लोगों (> 5 वर्ष) का प्रतिशत जिनके पास आधार पहचान पत्र है*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव की जनसंख्या (5 वर्ष से अधिक)	
2	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके पास पहले से ही आधार है (5 वर्ष से अधिक)	
3	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके पास आधार नहीं है (5 वर्ष से अधिक)	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

8.2 निगरानी योग्य संकेतक: *बैंकों/डाकघरों में खाते रखने वाले परिवारों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	18 वर्ष से अधिक आयु के ग्रामीणों की कुल जनसंख्या	
2	उन पात्र व्यक्तियों की संख्या जिनका बैंकों/डाकघरों में पहले से ही खाता है	
3	उन पात्र व्यक्तियों की संख्या जिनका बैंकों/डाकघरों में खाता नहीं है	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

8.3 निगरानी योग्य संकेतक: *प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव की कुल जनसंख्या (18-70 वर्ष)	
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत पहले से ही समाविष्ट पात्र व्यक्तियों (18-70 वर्ष) की संख्या	
3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किए गए पात्र व्यक्तियों (18-70 वर्ष) की संख्या	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

8.4 निगरानी योग्य संकेतक: *प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव की कुल जनसंख्या (18-50 वर्ष)	
2	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत पहले से ही समाविष्ट पात्र व्यक्तियों (18-50 वर्ष) की संख्या	
3	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना/अन्य किसी योजना(योजनाओं) के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किए गए पात्र व्यक्तियों (18-50 वर्ष) की संख्या	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

	लाभार्थियों का ब्यौरा	पहल कार्यों का ब्यौरा

क्र. सं.	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं. /पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

9. कार्यक्षेत्र: डिजिटलीकरण

9.3 निगरानी योग्य संकेतक: *पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत जो डिजिटली शिक्षित हैं*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में परिवारों की संख्या	
2	उन परिवारों की संख्या जिनमें 14-60 वर्ष के आयु समूह में कम से कम एक व्यक्ति डिजिटली शिक्षित है	
3	उन परिवारों की संख्या जिनमें 14-60 वर्ष के आयु समूह में सभी व्यक्ति डिजिटली अशिक्षित हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने के पात्र हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

10. कार्यक्षेत्र: जीवनयापन और कौशल विकास

10.1 निगरानी योग्य संकेतक: *कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं का प्रतिशत*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में उन युवाओं की संख्या जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं	
2	गांव में पात्र उन युवाओं की संख्या जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है	
3	गांव में पात्र उन युवाओं की संख्या जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना है	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र. सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

10.2 निगरानी योग्य संकेतक: *पात्र युवाओं का प्रतिशत जो बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें हैं*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	गांव में उन युवाओं की संख्या जो बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं	
3	गांव में उन युवाओं की संख्या जिन्होंने बैंक ऋण का लाभ पहले ही उठा लिया है	
4	गांव में उन युवाओं की संख्या जो बैंक ऋण का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

10.3 निगरानी योग्य संकेतक: *उन परिवारों का प्रतिशत जिनसे कम से कम एक सदस्य किसी स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य है*

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/संख्या
1	*उन परिवारों की संख्या जिनसे कम से कम एक सदस्य किसी स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य है*	
2	*उन परिवारों की संख्या जिनसे एक भी व्यक्ति किसी स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य नहीं है*	

पहचानशुदा परिवार/लाभार्थी और सुनियोजित पहल कार्य:

क्र.सं.	लाभार्थियों का ब्यौरा				पहल कार्यों का ब्यौरा
	लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान सं./ पता	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

ग्राम विकास योजना (वीडीपी)

प्रपत्र-IV: अवसंरचना कार्यों की कार्य-योजना और प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	निगरानी योग्य संकेतक	पहचानशुदा कार्यों/गतिविधियों के नाम/ब्यौरे	अनुमानित लागत (रुपए में)	उन योजनाओं के ब्यौरे जहां से धनराशियां प्राप्त की जा रही हैं				पीएमएजीवाई के अंतर्गत आवंटित धनराशि, यदि कोई है	एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत आवंटित धनराशि, यदि कोई है	आवंटित कुल धनराशि (12)= (7)+(9)+(10)+(11)
					केंद्र सरकार योजना (पीएमएजीवाई अथवा अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से भिन्न)		राज्य सरकार योजना				
					योजना का नाम	आवंटित धनराशि	योजना का नाम	आवंटित धनराशि			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											

योजनाओं का ब्यौरा जहां से निधि जारी की गई है						कुल जारी निधि (19)=(14)+(16)+(17)+(18)	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदन की तारीख	शुरू करने की अनुमानित तिथि	पूरा होने की अनुमानित तिथि	शुरू करने की वास्तविक तिथि
केंद्र सरकार की योजना (पीएमएजीवाई अथवा एससीएसपी के लिए एससीए से भिन्न)		राज्य सरकार की योजना		पीएमएजीवाई के अंतर्गत जारी निधि, यदि कोई हो	एससीएसपी के लिए एससीए के अंतर्गत जारी निधि, यदि कोई हो						
योजना का नाम	जारी निधि	योजना का नाम	जारी निधि								
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा						प्रयुक्त कुल निधि (26)+(28)+(29)+(30)	पूर्ण कार्य का प्रतिशत	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी, यदि कोई है
केंद्र सरकार योजना (पीएमएजीवाई अथवा एससीएसपी के लिए एससीए से भिन्न)		राज्य सरकार योजना		पीएमएजीवाई	एससीएसपी के लिए एससीए				
योजना	प्रयुक्त निधि	योजना	प्रयुक्त निधि						
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)

प्रपत्र -V: लाभार्थी उन्मुखी पहल कार्यों की कार्य योजना एवं प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	निगरानी योग्य संकेतक	परिवारों/लाभार्थियों का ब्यौरा, जहां आवश्यकता की पहचान की गई है				अंतराल के कारण, यदि कोई है	आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रस्तावित पहल कार्यों का ब्यौरा	अभिज्ञात योजनाओं का नाम	प्रगति			टिप्पणी, यदि कोई है
			लाभार्थी की श्रेणी (एससी/एसटी/अन्य)	मकान नं.	परिवार के मुखिया का नाम	लाभार्थी का नाम				पूरा किए गए कार्य का प्रतिशत	क्या आवश्यकता पूरी हुई (हां/नहीं)	यदि हां, किस तारीख को पूरी हुई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													

प्रपत्र VI: निगरानी योग्य संकेतकों की स्थिति

1	राज्य	
2	जिला	
3	ब्लॉक	
4	ग्राम पंचायत	
5	ग्राम	
6	ग्राम का एलजीडी कोड	

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र/निगरानी योग्य संकेतकों के ब्यौरे	बेंचमार्क	अंक प्रणाली	स्थिति	प्राप्त अंक
1.	**पेयजल और स्वच्छता**				
1.1	क्या गांवों को कवर करने के लिए पर्याप्त पेयजल संसाधन उपलब्ध हैं? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0		
1.2	स्वच्छ पेयजल प्रदत्त परिवारों का %	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
1.3	अलग-अलग परिवार शौचालय (आईएचएचएल) वाले परिवारों का %	100% <100%	2 0		
1.4	क्या गांवों में सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालय हैं? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0		
1.5	क्या गांवों में लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं? (हां/नहीं)	हां=0% नहीं=100%	0 2		
1.6	सभी आंतरिक सड़कों के साथ सम्बद्ध नालियों का %	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
1.7	मौजूदा कार्यरत नालियों का %	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
1.8	ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावशाली ढंग से निपटान करने का %	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
2.	**शिक्षा**				

2.1	प्राथमिक स्कूलों में बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %	100% <100%	2 0		
2.2	मिडिल स्कूलों में बालक और बालिकाओं (11-13 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %	100% <100%	2 0		
2.3	माध्यमिक स्कूलों में दोनों बालक और बालिकाओं (14-15 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %	100% <100%	2 0		
2.4	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बालक और बालिकाओं (16-17 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %	100% <100%	2 0		
2.5	उच्चतर माध्यमिकोत्तर शिक्षा के अंतर्गत बालक और बालिकाओं (18-23 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %	100% <100%	2 0		
2.6	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत (स्कूल जाने वाले तथा पात्र छात्रों में से)	100% <100%	2 0		
2.7	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत (मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे और पात्र छात्रों में से)	100% <100%	2 0		
3.	**स्वास्थ्य और पोषण**				
3.1	किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों का प्रतिशत	100% <100%	2 0		
3.2	क्या कॉल करने पर आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0		
3.3	गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जो गंभीर रूप से अरक्त हैं	0% >0%	2 0		
3.4	पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में संस्थागत प्रसूतियों का प्रतिशत	100% <100%	2 0		
3.5	पिछले एक वर्ष के दौरान जन्मे कम वजन के नवजात बच्चों का प्रतिशत	0% >0%	2 0		
3.6	बच्चों (< 1 वर्ष) के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत	100% <100%	2 0		
3.7	गांवों में कम वजन वाले बच्चों (0-5 वर्ष) का प्रतिशत	0% >0%	2 0		

3.8	पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई?	शून्य	2		
3.9	पिछले एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों (< 1 वर्ष) की मृत्यु हुई?	शून्य	2		
3.10	प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार प्राप्त कर रहे संचारी रोग से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत	100% <100%	2 0		
3.11	क्या सभी आंगनवाड़ियों का निर्माण कर लिया गया है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0		
4.	**समाज सुरक्षा**				
4.1	विधवा पेंशन प्रदत्त पात्र महिलाओं का प्रतिशत	हां=100% नहीं=0%	2 0		
4.2	वृद्धावस्था पेंशन प्रदत्त पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	हां=100% नहीं=0%	2 0		
4.3	दिव्यांग पेंशन प्रदत्त पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	हां=100% नहीं=0%	2 0		
5.	**ग्रामीण सड़कें और आवास**				
5.1	क्या गांव को हरेक किस्म के मौसम की सड़कों के साथ जोड़ा गया है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0		
5.2	आंतरिक सड़कों का प्रतिशत जिन पर सीसी/ब्रिक टॉप/पक्की/टाइलें लगाई गई हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
5.3	कच्चे/असुरक्षित घरों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत	हां=100% नहीं=0%	2 0		
6.	**बिजली और स्वच्छ ईंधन**				
6.1	क्या गांव में बिजली लगाई गई है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0		
6.2	परिवारों का प्रतिशत जिन्हें बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
6.3	परिवारों का प्रतिशत जो कम से कम एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
6.4	परिवारों का प्रतिशत जिन्हें गैस कनेक्शन दिए गए हैं	>75% 50-75%	2 1		

		<50%	0		
6.5	आंतरिक सड़कों का प्रतिशत जिन पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध है	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
7.	**कृषि संबंधी पद्धतियां आदि**				
7.1	पात्र किसानों का प्रतिशत जिन्हें सॉयल हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
7.2	अनुकरण की गई आर्गेनिक खेती संबंधी पद्धतियों की प्रमात्रा (प्रतिशत में)	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
7.3	अनुकरण की गई जल संभर प्रबंधन पद्धतियों की प्रमात्रा (प्रतिशत में)	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
8.	**वित्तीय अंतर्वेशन**				
8.1	गांवों में रहने वाले लोगों (>5 वर्ष) का प्रतिशत जिनके पास आधार पहचान पत्र हैं	100% <100%	2 0		
8.2	बैंकों/डाकघरों में खाते रखने वाले परिवारों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
8.3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
8.4	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
9.	**डिजिटलीकरण**				
9.1	क्या गांव को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0		
9.2	क्या गांव में कॉमन सर्विस सेंटर या साइबर कैफे की सुविधा उपलब्ध है? (हां/नहीं)	हां=100% नहीं=0%	2 0		
9.3	पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत जो डिजिटली शिक्षित हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0		

10.	**आजीविका और कौशल विकास**				
10.1	कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
10.2	पात्र युवाओं का प्रतिशत जो बैंक से ऋण प्राप्त कर सके	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
10.3	परिवारों का प्रतिशत जिनका कम से कम एक सदस्य किसी एसएचजी का सदस्य है	>75% 50-75% <50%	2 1 0		
कुल प्राप्तांक					

प्रपत्र-VII: मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र (जिला स्तर)

राज्य का नामः..... जिले का नामः..... चुने गए ग्रामों की संख्याः..... वर्ष 20..... के लिए ..... माह के अंत तक की रिपोर्ट

कः सामान्य सूचना

1. जिला पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक का ब्यौरा

ब्यौरा
नामः
पदनामः
ई-मेलः
फोनः
मोबाइल नं.:

2. ..... माह के अंत तक आयोजित जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति की बैठकों की संख्या

3. ..... माह के अंत तक आयोजित ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति की बैठकों की संख्या

पंचायत/ग्राम का नाम	**बैठकों की संख्या**

4. ..... माह के अंत तक पंचायत और ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण

पंचायत/ग्राम का नाम	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या**

5. कार्यान्वयन एजेंसियों/प्रभागों/जीपी को 'अन्तर पाटन' घटक के लिए पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत ..... माह के अंत तक आबंटित और जारी की गई संचयी निधियों का ब्यौरा

ग्राम का नाम	**आबंटित निधि लाख रुपये में**			**जारी की गई निधि लाख रुपये में**	
	पीएमएजीवाई के अंतर्गत	**एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत**	**जारी करने की तिथि**	**पीएमएजीवाई के अंतर्गत**	**एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत**

1.					
2.					
3.					
4.					

6. कार्यान्वयन एजेंसियों/प्रभागों/जीपी को 'अन्तर पाटन' घटक के लिए पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत ..... माह के अंत तक उपयोग की गई संचयी निधियों का ब्यौरा

ग्राम का नाम	उपयोग की गई निधि लाख रुपये में	
	पीएमएजीवाई के अंतर्गत	**एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत**
1.		
2.		

खः आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन और वीडीपी की स्थिति

ग्राम का नाम	आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन कार्यकलापों की स्थिति		ग्राम विकास योजना (वीडीपी) की स्थिति	
	प्रारम्भ किए गए (हां/नहीं)	पूर्ण किए गए (हां/नहीं)	ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप दिया गया (हां/नहीं)	जिला स्तर अभिसरण समिति द्वारा अनुमोदित (हां/नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

गः आधारभूत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

ग्राम का नाम	कुल अनुमोदित कार्यों की संख्या			वीडीपी के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों के लिए आवंटित कुल निधि लाख रुपये में				शुरू किए गए कार्यों की संख्या		
	पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में	कुल	पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में		कुल	पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में	कुल
					अन्य योजनाओं से	पीएमएजीवाई और एससीएसपी				

						को एससीए से				
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11) = (9)+(10)

पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या			उपयोग की गईं निधियां लाख रुपये में				टिप्पणी, यदि कोई हो
पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में	कुल	पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में		कुल	
				अन्य योजनाओं से	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए से		
(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)	(18)=(15)+(16)+(17)	(19)

घः लाभार्थी अभिमुखी पहलों के लिए प्रगति रिपोर्ट

ग्राम का नाम	अभिज्ञात योजना का नाम	अभिज्ञात लाभार्थियों की संख्या	लाभांवित लाभार्थियों की संख्यायदि , कोई हो	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
2.	1.			
	2.			
	3.			
	4.			

इः सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार लाने के संबंध में कार्यक्रम निदेशक की रिपोर्ट (उन पहलों के ब्यौरों सहित जिन्हें अन्यथा उपर्युक्त 'ग' और 'घ' में शामिल नहीं किया जा सका।)

प्रपत्र-VIII: मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र (राज्य स्तर)

राज्य का नामः..... चुने गए जिलों की संख्या..... चुने गए ग्रामों की संख्याः..... वर्ष 20..... के लिए ..... माह के अंत तक की रिपोर्ट

कः सामान्य सूचना

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थिति**
1	राज्य पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक का ब्यौरा	**नामः** **पदनामः** **ई-मेलः** **फोनः** **मोबाइल नं.:**
2	अभिज्ञात तकनीकी संसाधन सहायता के लिए राज्य स्तरीय संस्थान का नाम	
3	क्या पीएमएजीवाई और वीडीपी को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश राज्य की भाषा में विकसित किए गए हैं।	
4	क्या सभी संबंधित विभागों को चुने हुए ग्रामों में अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन का अभिसरण करने के लिए विस्तार से निर्देश जारी किए गए हैं।	

5. .....माह के अंत तक आयोजित समिति की बैठकों का ब्यौरा

समिति का नाम	**बैठकों की संख्या**
राज्य स्तरीय सलाहकार समिति	
राज्य स्तरीय छानबीन व निगरानी समिति	
राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति	

6. .....माह के अंत तक जिलों के प्रमुख कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण

जिले का नाम	**प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या**
1.	
2.	

7. चयनित जिलों को 'अन्तर पाटन' घटक के लिए पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत ..... माह के अंत तक आबंटित और जारी की गई संचयी निधियों का ब्यौरा

जिला का नाम	**आबंटित की गई निधि लाख रुपये में**		**जारी की गई निधि लाख रुपये में**		
	पीएमएजीवाई के अंतर्गत	**एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत**	**जारी करने की तिथि**	**पीएमएजीवाई के अंतर्गत**	**एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत**
1.					
2.					
3.					
4.					

8. चयनित जिलों को 'अन्तर पाटन' घटक के लिए पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत ..... माह के अंत तक उपयोग की गई संचयी निधियों का ब्यौरा

जिला का नाम	उपयोग की गई निधि लाख रुपये में	
	पीएमएजीवाई के अंतर्गत	**एससीएसपी को एससीए के अंतर्गत**
1.		
2.		

खः आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन और वीडीपी की स्थिति

जिले का नाम	चुने गए ग्रामों की संख्या	आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन कार्यकलापों की स्थिति		ग्राम विकास योजना (वीडीपी) की स्थिति	
		प्रारम्भ किए गए	पूर्ण किए गए	ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप दिया गया	जिला स्तर अभिसरण समिति द्वारा अनुमोदित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

गः आधारभूत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

जिले का नाम	कुल अनुमोदित कार्यों की संख्या			वीडीपी के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों के लिए आवंटित कुल निधि लाख रुपये में				शुरू किए गए कार्यों की संख्या		
	पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में	कुल	पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में		कुल	पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में	कुल
					अन्य योजनाओं से	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए से				
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)

			+(3)							

पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या			उपयोग की गईं निधियां लाख रुपये में				टिप्पणी, यदि कोई हो
पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में	कुल	पीएमएजीवाई या एससीएसपी को एससीए निधियों के बिना	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए निधियों के अभिसरण में		कुल	
				अन्य योजनाओं से	पीएमएजीवाई और एससीएसपी को एससीए से		
(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)	(18)=(15)+(16)+(17)	(19)

घः लाभार्थी अभिमुखी पहलों के लिए प्रगति रिपोर्ट

जिले का नाम	गांवों की संख्या	अभिज्ञात योजना का नाम	अभिज्ञात लाभार्थियों की संख्या	लाभांवित लाभार्थियों की संख्या , यदि कोई हो	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		1.			

		2.			
		3.			
		4.			
2.		1.			
		2.			
		3.			
		4.			

इः सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार लाने के संबंध में कार्यक्रम निदेशक की रिपोर्ट (उन पहलों के ब्यौरों सहित जिन्हें अन्यथा उपर्युक्त 'ग' और 'घ' में शामिल नहीं किया जा सका।)